

आठवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2024-25



बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
झाँसी

मूल्य :

1. कंपनी का हित सर्वोपरि
2. ईमानदारी और पारदर्शिता
3. हर स्तर पर गुणवत्ता
4. उत्तरदायित्व की भावना
5. आपसी सहयोग
6. समय बद्धता

ध्येय:

बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर, अपने सभी सदस्यों से, गुणवत्तायुक्त दूध एकत्र करेगी, और दूध उत्पादन लागत को, कम करने के लिए, तकनीकी सेवाएं प्रदान करके, कंपनी अपने दूध व्यवसाय से, अपने सदस्यों को, लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

दीर्घ दृष्टि:

बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उत्तर -मध्य भारत के, शीर्ष पांच डेयरी संस्थानों में से एक होगी।

अनुक्रमणिका

क्रम. स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निर्देशको की रिपोर्ट	1 - 14
2.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	15 - 28
3.	वित्तीय खाते और उनके टिप्पणियाँ	29 - 55
4.	आठवीं वार्षिक आम सभा की सूचना एवं संबन्धित अनुलग्नक	56 - 63
5.	सातवीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त	64 - 70
6.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट	71 - 71
7.	प्रॉक्सी फॉर्म	72 - 73
8.	प्राप्ति रसीद	74 - 74
9.	उपस्थिति पर्ची	75 - 75

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रति,
सदस्यों को,
बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड,

निदेशकगण आपको कंपनी के संचालन पर आठवीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं।

कंपनी ने सफलतापूर्वक अपने छह वर्षों का संचालन पूरा कर लिया है। कंपनी का पंजीकरण 24 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा IXA के अंतर्गत एक उत्पादक कंपनी के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य सदस्यों के दूध का संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण, विपणन एवं उससे संबंधित अथवा सहायक गतिविधियों का संचालन करना है।

I. वित्तीय परिणाम :-

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	(राशि लाखों में)	(राशि लाखों में)
कुल राजस्व	57,431.25	51,965.39
सामग्री लागत सहित व्यय	56,582.47	51,559.22
कर से पहले की अवधि के लिए लाभ/(हानि)	848.78	406.17
कराधान के लिए प्रावधान	213.65	106.64
कर के बाद की अवधि के लिए लाभ/(हानि)	635.13	299.53
लाभांश	101.75	79.09
लाभ सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	533.38	220.44

II. कंपनी की स्थिति :-

वर्ष के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 57,431.25 लाख रुपये रहा जो पिछले वर्ष 51,965.39 लाख रुपये की तुलना में 10.52% की वृद्धि है। कंपनी का कर पश्चात लाभ 635.13 लाख रुपये रहा जबकि पिछले वर्ष यह 299.53 लाख रुपये था।

III. लाभांश:

“निदेशक मंडल को यह अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु, ₹100 अंकित मूल्य के प्रत्येक 12,71,865 इक्विटी शेयर पर ₹8/- प्रति शेयर की सीमित प्रतिफल (लाभांश) प्रदान किया जाए। इक्विटी शेयरों पर यह लाभांश कंपनी की 8वीं वार्षिक सामान्य सभा (AGM) में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन होगा। सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर यह लाभांश केवल उन सदस्यों को देय होगा जिनके नाम 31 मार्च 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में अंकित हैं। यदि अनुमोदित किया जाता है, तो इस लाभांश के परिणामस्वरूप कंपनी से ₹101.75 लाख का नकद बहिर्प्रवाह होगा।”

IV. सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण:

कंपनी के उपविधान (Articles of Association) के प्रासंगिक प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के साथ पढ़े जाने पर, निदेशक मंडल ₹533.38 लाख की राशि को सामान्य आरक्षित निधि (General Reserve) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है।

V. संचालन की समीक्षा :-

दूध क्रय संचालन :

वर्ष के दौरान कंपनी ने झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर और महोबा जिलों में दूध क्रय संचालन किया। संपूर्ण संचालन 1316 गाँवों में फैला हुआ है, जहाँ 31 मार्च, 2025 तक 14 बीएमसी/एमसीसी (BMC/MCC) केंद्रों के अंतर्गत 1111 दुग्ध पूलिंग केंद्र (MPPs) स्थापित किए गए। उत्पादकों के भारी समर्थन से कंपनी ने तीव्र गति से नए दुग्ध संकलन केंद्र एवं नए उत्पादक सदस्य जोड़ने में सफलता प्राप्त की।

वर्ष के दौरान कंपनी ने लगभग 957 लाख किलोग्राम कच्चे दूध का संकलन किया, जिसका औसत 2,62,105 किलोग्राम प्रतिदिन रहा। वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी में कुल 82,494 सदस्य नामांकित हो चुके थे। इन नामांकित सदस्यों में से 77,929 सदस्यों ने वर्ष के दौरान नियमित रूप से दूध आपूर्ति की, जिससे उन्होंने कंपनी के कार्य संचालन में अपना विश्वास प्रदर्शित किया।

कंपनी ने उन सदस्यों को, जिन्होंने अपने दायित्वों को पूर्ण किया और व्यवसाय में नियमित योगदान दिया, उनकी कड़ी मेहनत की सराहना हेतु लगभग ₹3.35 करोड़ का निष्ठा प्रोत्साहन (Loyalty Incentive) प्रदान किया।

दूध संकलन मूल्यों के संदर्भ में, कंपनी अपने सदस्यों को दूध आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धात्मक एवं लाभकारी दरें प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रक्रियाओं में सुधार एवं लागत में कटौती पर सतत प्रयासरत है। इसके लिए वह कुछ प्रमुख उपाय अपनाती है, जैसे—लॉजिस्टिक्स का अनुकूलन, बहु-कार्य निष्पादन (Multitasking), गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा प्रभावी पर्यवेक्षण करना।

गुणवत्ता आश्वासन :

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance) ने सभी बीएमसी/एमसीसी (BMC/MCC) केंद्रों में गुणवत्ता प्रणालियाँ एवं परीक्षण योजनाएँ स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रयोग में लाए जा रहे सभी बल्क मिल्क कूलर (BMCs) एवं मिल्क चिलिंग सेंटर (MCCs) कच्चे दूध की गुणवत्ता जाँच हेतु आवश्यक मूलभूत परीक्षण सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित हैं। हम गाँव स्तर पर दुग्ध उत्पादकों को स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु प्रशिक्षित भी करते हैं। किसानों से दूध एकत्र कर एमपीपी (MPPs) तक तथा वहाँ से बीएमसी/एमसीसी तक परिवहन हेतु मानक कार्यविधियाँ (SOPs) निर्धारित की गई हैं। सहायक (Sahayaks) एवं फील्ड स्टाफ को भी उच्च गुणवत्ता वाला दूध संकलित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी ने रिसीविंग प्लांट पर औसतन 85 मिनट का एमबीआरटी (MBRT) स्तर प्राप्त किया है।

कंपनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता स्तर सुनिश्चित एवं बनाए रखने हेतु कंपनी निरंतर तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराती रही है और कर रही है, जिससे बीएमसी पर कार्यरत सभी संबंधित एवं बहु-कार्यात्मक टीम सदस्यों का ज्ञान एवं कौशल अद्यतन होता रहे। यह प्रशिक्षण स्वच्छता एवं दूध की गुणवत्ता से सीधे जुड़ा हुआ है, जो हमारे उपभोक्ताओं को सुरक्षित दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का आधार है।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ :

क. कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination - AI) सेवाएँ:

कंपनी अपने परिचालन क्षेत्र में दुग्ध उत्पादक पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने, दूध उत्पादन लागत घटाने तथा किसानों की आय अधिकतम करने के उद्देश्य से पशुधन की नस्ल सुधार हेतु किसानों के द्वार पर मोबाइल आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन तकनीशियनों (MAITs) के माध्यम से उच्च स्तरीय अनुवांशिक (Top Genetics) तकनीक द्वारा कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएँ प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी ने पशुधन प्रजनन एवं स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं:

- **कृत्रिम गर्भाधान:** उच्च अनुवांशिक योग्यता (High Genetic Merit) वाले वीर्य खुराकों का उपयोग कर कुल 41,260 कृत्रिम गर्भाधान किए गए। इस उन्नत प्रजनन तकनीक ने सदस्यों को श्रेष्ठ अनुवांशिक क्षमता तक पहुँच प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप पशुधन की उत्पादकता में सुधार हुआ।

ख. राशन संतुलन कार्यक्रम (Ration Balancing Programme - RBP):

कंपनी के परिचालन क्षेत्र में उत्पादक अभी भी परंपरागत चारा-पद्धतियों का पालन करते हैं। पशुओं की आवश्यकता अनुसार उत्तम चारा-पद्धति अपनाने हेतु कंपनी ने राशन संतुलन कार्यक्रम (RBP) लागू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सॉफ्टवेयर की सहायता से तैयार की गई संतुलित आहार योजना पर आधारित

परामर्श दुग्ध उत्पादकों को प्रदान किया जाता है। उत्पादकों को उपलब्ध चारा-सामग्रियों से संतुलित आहार बनाने की सलाह दी जाती है, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार तथा दूध उत्पादन लागत में कमी आती है। वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 15,124 सदस्यों को शामिल किया गया।

ग. पशु आहार (Cattle Feed):
अपने उत्पादक सदस्यों के सशक्तिकरण एवं सहयोग की प्रतिबद्धता के अंतर्गत कंपनी उच्च गुणवत्ता वाला संतुलित पशु आहार निरंतर उपलब्ध करा रही है। यह आहार पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में वृद्धि कर दूध उत्पादन को बेहतर बनाता है और अंततः सदस्यों की आय में वृद्धि का कारण बनता है। कंपनी “बलिनी गोल्ड (Balinee Gold)” ब्रांड नाम से संतुलित मिश्रित पशु आहार (BIS Type II) प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी ने अपने उत्पादक सदस्यों को लगभग 12,216 मीट्रिक टन पशु आहार उपलब्ध कराया।

घ. सीएमटी (कैलिफ़ोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट - CMT):
मास्टाइटिस (Mastitis) एक संभावित घातक स्तनग्रंथि संक्रमण है, जो विश्वभर में दुग्ध पशुओं में सर्वाधिक सामान्य एवं दुग्ध उद्योग के लिए सर्वाधिक महंगा रोग है। अतः, समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी ने दुग्ध उत्पादक पशुओं पर कुल 12,398 सीएमटी (California Mastitis Tests) किए। इनमें से कुल 433 मास्टाइटिस पॉज़िटिव मामले पाए गए जिन्हें उपचारित कर ठीक किया गया। इसके साथ ही, कंपनी ने “एथनो वेटेरिनरी गार्डन” (Ethno Veterinary Garden) की स्थापना की दिशा में निरंतर प्रयास किए, ताकि औषधीय पौधों एवं घरेलू उपचारों के माध्यम से पशुओं में रोगों की प्रारंभिक रोकथाम को बढ़ावा दिया जा सके।

ङ. खनिज मिश्रण (Mineral Mixture):
कंपनी ने अपने परिचालन क्षेत्र में उपलब्ध चारा, जलवायु एवं पशुओं की आहार आदतों को ध्यान में रखते हुए “बलिनी मिन (BALINEE MIN)” ब्रांड नाम से खनिज मिश्रण विकसित किया है। यह मिश्रण दुग्ध उत्पादक पशुओं के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार हेतु प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पादकों को उपलब्ध कराया जाता है। समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी ने लगभग 52 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण की बिक्री की।

च. चारा वितरण (Fodder Distribution):
समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी ने लगभग 20,598 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले चारे के बीज-मक्खन घास, बरसीम, न्यूट्री फ़ीड एवं सॉफ्टी घास-20,716 सदस्यों को नाममात्र के मूल्य पर वितरित किए।

4. उत्पादक संस्था निर्माण (Producer Institution Building - PIB):

उत्पादक संस्था निर्माण (PIB) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादकों द्वारा स्वामित्व एवं प्रबंधन वाली संस्थाओं का निर्माण एवं सुदृढीकरण किया जाता है। PIB का उद्देश्य सदस्य उत्पादकों की

जागरूकता, भागीदारी एवं सशक्तिकरण बढ़ाकर उनकी संस्थाओं के शासन, प्रदर्शन एवं स्थायित्व में सुधार लाना है।

PIB का लक्ष्य संगठन को बेहतर प्रबंधित, अधिक कुशल और दीर्घकालिक बनाना है, जिसके लिए सदस्यों के ज्ञान, सहभागिता एवं अधिकार को बढ़ावा दिया जाता है। यह प्रक्रिया उत्पादक कंपनी (Producer Company) को अन्य डेयरी उद्यमों से अलग पहचान देती है, क्योंकि इसमें पारदर्शी एवं न्यायसंगत प्रबंधन प्रणाली अपनाई जाती है और सदस्यों से उनके लाभानुसार योगदान अपेक्षित होता है।

एमपीसी (MPC) के मूलभूत सिद्धांत:

- व्यवसायिक लेन-देन केवल सदस्यों तक ही सीमित रहा।
- सदस्य शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय सदस्यता एवं व्यवसाय तथा शासन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान अपनी *मैचिंग शेयर कैपिटल* योगदान की पूर्ति की।
- सदस्य संचार एवं शिकायत निवारण हेतु उपयुक्त तंत्र विकसित किया गया, जिसके अंतर्गत गाँव स्तर पर सदस्यों के अनौपचारिक समूह गठित किए गए। ये समूह नियमित रूप से मिलते हैं और सदस्यों एवं कंपनी के बीच द्विपक्षीय संवाद सुनिश्चित करते हैं, जिससे सदस्य शिकायतों का समाधान होता है।
- व्यवसाय संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने तथा यथाशीघ्र *आर्थिक पैमाने (Economy of Scale)* एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों को व्यवहारिक एवं प्रोत्साहनात्मक प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण **एवं** **क्षमता** **निर्माण** **कार्यक्रम:**
कंपनी अपने सदस्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं क्षमता-विकास कार्यक्रम आयोजित करती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादक सदस्य:

- कंपनी का हिस्सा होने के नाते अपनी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को समझ पाते हैं,
- डेयरी फार्मिंग के अभ्यासों में सुधार हेतु मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त करते हैं,
- गुणवत्तापूर्ण इनपुट एवं बाजार तक पहुँच के माध्यम से अपनी आय एवं प्रदर्शन को बढ़ाते हैं,
- तथा अपनी संस्था को कुशलतापूर्वक संचालित करने हेतु शासन एवं प्रबंधन की क्षमताओं का विकास करते हैं।

समीक्षा वर्ष 2024-25 के दौरान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें वर्तमान सदस्यों एवं संभावित नए सदस्यों को शामिल किया गया। नए उत्पादक सदस्यों को जोड़ने के लिए पहल की गई। सहायक (Sahayaks) एवं फील्ड कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए।

वर्ष 2024-25 में आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न रहे:

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या
आईबी और प्रोक्युर्मन्ट के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम	2
वार्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम- कर्मचारी	1
अभिविन्यास कार्यक्रम- वीसीजी और एमआरजी	2617
निदेशक अभिविन्यास कार्यक्रम और कौशल निर्माण कार्यक्रम	3
उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम सह गुणवत्तापूर्ण स्वच्छ दूध उत्पादन कार्यक्रम	>100
ग्रामीण युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	10
ग्रामीण विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम	10

VI. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भौतिक परिवर्तन (Material Changes after Closure of Financial Year):

31 मार्च, 2025 से इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन अथवा प्रतिवद्धताएँ नहीं हुई हैं। नियामकों अथवा न्यायालयों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो कंपनी की *गोइंग कंसर्न स्थिति* (Going Concern Status) अथवा इसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करें।

VII. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन (Change in Nature of Business):

समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

VIII. शेयर पूँजी एवं सदस्यता (Share Capital and Membership):

समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी अधिकृत शेयर पूँजी (Authorised Share Capital) ₹12 करोड़ से बढ़ाकर ₹18 करोड़ कर दी, जिसका अनुमोदन कंपनी की 7वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM) में दिनांक 20 सितम्बर, 2024 को किया गया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की चुकता शेयर पूँजी (Paid-up Share Capital) ₹12.72 लाख रही तथा 31 मार्च, 2025 को कंपनी के सदस्यों की रजिस्टर में कुल 81,877 सदस्य अंकित थे।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, नए सदस्यों के प्रवेश, सदस्यता निरस्तीकरण एवं सदस्यों द्वारा शेयर समर्पण के परिणामस्वरूप इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 84,365 हो गई है तथा कंपनी की शेयर पूँजी ₹1,306 लाख हो गई है।

IX. मतदान अधिकार एवं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति (Voting Rights and Attendance at AGM):

कंपनी के उपविधियों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा, बशर्ते कि उस सदस्य ने वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक दूध डाला हो तथा कुल मात्रा न्यूनतम 500 लीटर हो।

आगामी वार्षिक साधारण सभा (AGM) में मतदान अधिकार के प्रयोग हेतु 31 मार्च, 2025 की स्थिति में कुल 82,494 सदस्यों में से केवल 34,292 सदस्य ही पात्र होंगे।

31 मार्च, 2025 के पश्चात कंपनी में सम्मिलित 5,636 नए सदस्य कंपनी की 8वीं वार्षिक साधारण सभा में मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, 3,765 सदस्यों की सदस्यता 31 मार्च, 2025 के बाद निरस्त की गई।

इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी की 8वीं वार्षिक साधारण सभा में कुल 84,365 सदस्य उपस्थित होने के पात्र होंगे।

X. निदेशक मंडल (Board of Directors):

क. 31 मार्च, 2025 की स्थिति में निदेशक मंडल की संरचना (Composition of the Board as on 31/03/2025):

S.NO	NAME	DIN
1.	श्रीमती आरती राजपूत	08913495
2.	श्रीमती राजकुमारी लोधी	09333069
3.	श्रीमती रामदेवी	09333070
4.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	09335491
5.	श्रीमती कंचन	09739299
6.	श्रीमती कीर्ति	09749897
7.	श्रीमती सुनीता देवी	10302478
8.	श्रीमती निर्मला देवी	10306584
9.	श्री सौगत मित्रा	00541858
10.	श्री ओम प्रकाश सिंह	08379571
11.	श्री वीनू सोढ़ी	10761410
12.	श्रीमती रेखा	10753482
13.	श्रीमती निशा	10753483
14.	श्रीमती सीता	10753484

ख. निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन (Change in Composition of the Board):

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, श्री वीनू सोढ़ी को कंपनी के निदेशक मंडल में विशेषज्ञ निदेशक (Expert Director) के रूप में दिनांक 25 मार्च, 2025 से नियुक्त किया गया।

इसके अतिरिक्त, श्रीमती **रामदेवी** (DIN: 09333070) एवं श्रीमती **राजकुमारी लोधी** (DIN: 09333069) को कंपनी की 7वीं वार्षिक साधारण सभा, जो 20 सितम्बर, 2024 को आयोजित हुई, में पुनः निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

इसी प्रकार, श्रीमती **निशा** (DIN: 10753483), श्रीमती **रेखा** (DIN: 10753482) एवं श्रीमती **सीता** (DIN: 10753484) को भी कंपनी की उक्त 7वीं वार्षिक साधारण सभा में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

XI. निदेशकों की जिम्मेदारी विवरणिका (Directors' Responsibility Statement):

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि—

- a) वार्षिक लेखों की तैयारी में, कंपनी द्वारा लागू लेखा मानकों (Accounting Standards) का पालन किया गया है।
- b) निदेशकों ने उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है। साथ ही, उचित एवं विवेकपूर्ण आकलन और अनुमान लगाए गए हैं ताकि 31 मार्च, 2025 की स्थिति में कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लाभ का सच्चा एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके।
- c) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान हेतु, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानियाँ बरती हैं।
- d) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को *गोइंग कंसर्न आधार* (Going Concern Basis) पर तैयार किया है।
- e) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ विकसित की हैं और यह प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं।

XII. लेखापरीक्षक (Auditors):

एम/एस एस. एन. धवन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक (Statutory Auditors) हैं, जिनकी नियुक्ति कंपनी की 4वीं वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि हेतु की गई थी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उनके पारिश्रमिक का निर्धारण निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, आपत्ति अथवा आरक्षण दर्ज नहीं किया गया है। समीक्षा वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी, इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा अधिनियम की धारा 143(12) के अंतर्गत किसी प्रकार की धोखाधड़ी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की है।

XIII. लागत अभिलेख (Cost Record):

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अंतर्गत लागत अभिलेखों का संधारण एवं लागत लेखापरीक्षण की आवश्यकता कंपनी की व्यवसायिक गतिविधियों पर लागू नहीं होती।

XIV. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी (Board's Comment on the Auditor's Report):

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित टिप्पणियाँ एवं वित्तीय विवरण स्पष्ट हैं और उन पर किसी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षक ने रिपोर्ट में *प्रोक्योरमेंट (Procurement)* से संबंधित *सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (Audit Trail)* दर्ज करने के विषय में टिप्पणी की है। इस पर लेखापरीक्षक की टिप्पणी एवं निदेशक मंडल की टिप्पणी निम्नलिखित है—

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के बिंदु i के उप-बिंदु vi:

लेखापरीक्षक की टिप्पणी (Auditor's Remark):

हमारे परीक्षण (Test Checks) सहित किए गए परीक्षणों के आधार पर, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा पुस्तकों के संधारण हेतु ऐसे लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें *ऑडिट ट्रेल (Edit Log)* सुविधा उपलब्ध है और वर्ष भर सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए यह सुविधा संचालित रही। तथापि—

(a) खरीद अभिलेखों के संधारण हेतु उपयोग किए गए एक सॉफ्टवेयर में *ऑडिट ट्रेल (Edit Log)* सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(b) डेटाबेस लेयर पर 1 अप्रैल 2024 से 9 अगस्त 2024 तक यह सुविधा सक्रिय नहीं थी

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं लेखापरीक्षण (Internal Control System and Audit):

कंपनी के पास उपयुक्त एवं पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, जो सुनिश्चित करती है कि कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ संरक्षित एवं सुरक्षित रहें और सभी लेन-देन विधिवत अनुमोदित, अभिलेखित एवं सही रूप से रिपोर्ट किए जाएँ।

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु **अन्स्टैंड एंड यंग एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली** को कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षक वर्षभर कंपनी के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों का व्यापक ऑडिट करते हैं तथा अपनी रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करते हैं।

समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी के संचालन में कोई भी रिपोर्ट करने योग्य भौतिक कमजोरी (Material Weakness) नहीं पाई गई।

XV. मानव संसाधन (Human Resource):

मानव संसाधन कंपनी की वास्तविक संपत्ति हैं, जिन्होंने कंपनी के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके उत्साह, प्रतिबद्धता, स्वामित्व भाव एवं टीमवर्क ने कंपनी को निरंतर वृद्धि हासिल करने में सक्षम बनाया है। कंपनी सदैव एक सकारात्मक, सहायक, खुला एवं उच्च-प्रदर्शन कार्य संस्कृति और वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, जहाँ नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रदर्शन को मान्यता मिलती है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने हेतु प्रेरित किया जाता है।

XVI. सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology):

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के विभिन्न कार्यों को सहयोग प्रदान करती है और प्रणालियों को सुव्यवस्थित एवं ऑनलाइन बनाने में सहायक होती है। आईटी का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त तकनीक उपलब्ध कराकर परिचालन की दक्षता बढ़ाना, सूचित निर्णय-निर्माण को सक्षम करना और इस प्रकार राजस्व में वृद्धि करना है।

कंपनी में आईटी हस्तक्षेपों से प्रणालियाँ सुव्यवस्थित एवं ऑनलाइन बन रही हैं। डेटा संग्रह, विश्लेषण और दृश्यांकन (Visualization) में आईटी की प्रमुख भूमिका है, जिससे निर्णय-निर्माताओं को समय पर एवं सटीक जानकारी प्राप्त होती है और वे बेहतर निर्णय ले पाते हैं।

XVII. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय (Energy Conservation, Technology Absorption & Foreign Exchange Earnings and Outgo):

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 तथा कंपनियाँ (लेखांकन) नियम, 2014 के अंतर्गत आवश्यक विवरण इस प्रकार हैं—

(i) ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित नियमों का *भाग A और B* वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(ii) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय: **अर्जन - शून्य (Nil); व्यय - शून्य (Nil)**।

XVIII. बैठक (Meetings):

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की कुल नौ (9) बैठकें विधिवत् आयोजित की गईं। इन बैठकों का विवरण निम्नानुसार है—

Date of Meeting	Board Strength	No. of Directors Present
9 th मई 2024	11	11
24 th जून 2024	11	11
8 th अगस्त 2024	11	11

17 th अगस्त 2024	11	11
28 th सितंबर 2024	13	13
22 nd नवंबर 2024	13	13
28 th दिसंबर 2024	13	13
20 th फ़रवरी 2025	13	13
25 th मार्च 2025	13	13

XIX. समिति की बैठकें (Committee Meetings):

हितधारक संबंध समिति (Stakeholder Relationship Committee):
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में *हितधारक संबंध समिति* (Stakeholder Relationship Committee) का गठन 25 मार्च, 2021 को किया गया था। तत्पश्चात, निदेशक मंडल की 29वीं बैठक, जो 27 अप्रैल, 2023 को आयोजित हुई, में इस समिति का पुनर्गठन किया गया। इस समिति का उद्देश्य कंपनी के शेयरधारकों की शिकायतों एवं अभ्यावेदन का समाधान करना है।

समिति की संरचना इस प्रकार है—

Sr.No	Name of Director	Designation
1	श्रीमती आरती राजपूत	अध्यक्ष
2	श्रीमती कीर्ति	सदस्य
3	डॉ. ओम प्रकाश सिंह	सदस्य

XX. ऋण, गारंटी एवं निवेश का विवरण (Particulars of Loans, Guarantees & Investments):
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान *कंपनी अधिनियम, 2013* के प्रावधानों के अनुसार कोई भी ऋण, गारंटी या निवेश प्रदान नहीं किया है।

XXI. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण (Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties):
वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएँ/लेन-देन सामान्य व्यापार की प्रकृति में तथा *आर्म्स लेंथ बेसिस* पर किए गए थे। कंपनी द्वारा प्रमोटर्स, निदेशकों, *मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों* या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई भी ऐसा *महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन* नहीं किया गया, जो कंपनी के व्यापक हितों के साथ संभावित टकराव उत्पन्न कर सके। साथ ही, वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी ऐसा अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन नहीं किया जिसे *महत्वपूर्ण* माना जा सके या जिसे *फॉर्म नंबर AOC-2* में धारा 134(3)(h) को धारा 188 और *कंपनी (खाते) नियम, 2014* के नियम 8(2) के साथ पढ़कर रिपोर्ट करना आवश्यक हो।

XXII. धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण (Details in respect of Frauds Reported by Auditors under Sub-section (12) of Section 143):

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा *कंपनी अधिनियम, 2013* की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई भी ऐसी धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है जिसे *केंद्रीय सरकार* को रिपोर्ट करना आवश्यक हो।

XXIII. जोखिम प्रबंधन नीति (Risk Management Policy):

कंपनी तीव्र परिवर्तनशील और अनिश्चित वातावरण में कार्य करती है। ये परिवर्तन कंपनी के उद्देश्यों को प्रभावित करते हुए अवसरों एवं अनिश्चितताओं दोनों का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं।

कंपनी की *जोखिम प्रबंधन प्रणाली* उसके परिचालन ढाँचे में समाहित है।

कंपनी का व्यवसायिक जोखिम को संबोधित करने का दृष्टिकोण व्यापक है, जिसमें प्रमुख जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा, मूल्यांकन, निगरानी, शमन और उनकी प्रभावशीलता का आकलन शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(n) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा एक *जोखिम प्रबंधन नीति* बनाई गई है।

कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन नियमित आधार पर जोखिमों की पहचान एवं निगरानी करता है और उन्हें नियंत्रित एवं न्यूनतम करने हेतु प्रक्रियाएँ एवं प्रणालियाँ विकसित करता है।

कंपनी का मानना है कि *जोखिम प्रबंधन* से अधिकतम लाभ सुनिश्चित किए जा सकते हैं। नियमित जाँच एवं मूल्यांकन द्वारा व्यापारिक जोखिमों का पूर्वानुमान लगाकर समय रहते आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

XXIV. जमाएँ (Deposits):

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने कोई भी ऐसी जमाएँ स्वीकार नहीं की हैं, जिन पर *कंपनी अधिनियम, 2013* के प्रावधान लागू होते हों। अतः इस संबंध में कोई खुलासा या रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।

XXV. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control):

कंपनी के पास एक उचित एवं पर्याप्त *आंतरिक नियंत्रण प्रणाली* विद्यमान है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियाँ सुरक्षित एवं संरक्षित रहें तथा लेन-देन विधिवत् अनुमोदित, दर्ज एवं सही ढंग से रिपोर्ट किए जाएँ।

वर्ष के दौरान, प्रणाली के *डिज़ाइन या परिचालन* में कोई भी *रिपोर्ट करने योग्य महत्वपूर्ण कमजोरी* नहीं पाई गई।

XXVI. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत खुलासा (Disclosure under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013):

कंपनी ने *कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतिरोध) अधिनियम, 2013* तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन किया है और इसके अंतर्गत एक **आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee)** का गठन किया गया है। कंपनी ने एक *सुरक्षित कार्यस्थल नीति* भी लागू की है।

वित्तीय वर्ष के दौरान समीक्षा की अवधि में कंपनी ने **POSH अधिनियम** तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सभी प्रावधानों का पालन किया है।

अधिक विवरण निम्नलिखित हैं:

A	वित्तीय वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या:	0
B	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या:	0
C	नब्बे (90) दिनों से अधिक समय तक लंबित यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों की संख्या:	0

XXVII. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility - CSR):
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा *Companies (CSR) Rules, 2014* (समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित) के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने अपनी CSR नीति को अपनाया है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है:
<https://www.balineemilk.com/category/policies/>

XXVIII. सतर्कता तंत्र (Vigil Mechanism):
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा *Companies (Meeting of the Board and its Powers) Rules, 2013* के नियम 6 एवं 7 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

XXIX. वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक (Web Link of Annual Return):
<https://www.balineemilk.com/category/annual-return/>

XXX. अन्य खुलासे (Other Disclosures):
a) कंपनी की कोई भी सहायक कंपनी (subsidiary), संयुक्त उपक्रम (joint venture) अथवा सहयोगी कंपनी (associate company) वर्ष के दौरान न तो बनी और न ही समाप्त हुई।
b) कंपनी की *going concern status* अथवा भविष्य के संचालन पर प्रभाव डालने वाले कोई महत्वपूर्ण आदेश नियामकों, न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किए गए।
c) *Insolvency and Bankruptcy Code, 2016* के अंतर्गत आपकी कंपनी के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही आरंभ/लंबित नहीं है जो कंपनी के व्यवसाय को भौतिक रूप से प्रभावित करती हो।

XXXI. सचिवीय मानक (Secretarial Standards):

कंपनी *Institute of Company Secretaries of India* द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पालन करती है।

XXXII. मातृत्व लाभ (Maternity Benefit):

{Companies (Accounts) Rules, 2014 के नियम 8(5)(xiii) के अनुसार}

कंपनी यह पुष्टि करती है कि उसने *Maternity Benefit Act, 1961* के सभी प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया है तथा पात्र महिला कर्मचारियों को वर्ष के दौरान सभी वैधानिक लाभ प्रदान किए हैं।

XXXIII. आभार-अभिन्नंदन (Acknowledgement):

निदेशक मंडल कंपनी के सदस्यों, व्यवसाय सहयोगियों और बैंकरों के निरंतर सहयोग एवं समर्थन हेतु हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता है।

आपके निदेशकगण उत्तर प्रदेश सरकार, UPSLRM तथा हमारे व्यवसायिक भागीदारों के प्रति भी प्रोत्साहन एवं सतत सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के सभी कर्मचारियों तथा संबंधित व्यक्तियों के उत्साही सहयोग, परिश्रम और निष्ठा की भी सराहना करता है, जिनके बिना कंपनी की सर्वांगीण प्रगति और विकास संभव नहीं हो पाता।

निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 06.09.2025

स्थान: झाँसी

आरती राजपूत

DIN: 08913495

अध्यक्ष

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,

बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को
वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत (Opinion):

हमने बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण (Statement of Profit and Loss), नकदी प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement) तथा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में टिप्पणियाँ, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित हैं।

हमारे मतानुसार और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं हमें उपलब्ध कराई गई व्याख्याओं के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी उस रूप में प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित *लेखा मानकों (Accounting Standards - AS)* तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, कंपनी की स्थिति 31 मार्च, 2025 को, तथा उस दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं नकदी प्रवाह का *सही एवं निष्पक्ष चित्रण (true and fair view)* प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार (Basis for Opinion):

हमने अपने लेखा-परीक्षण का संचालन अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट *लेखा-परीक्षण मानकों (Standards on Auditing - SAs)* के अनुसार किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ, इस रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ" शीर्षक खंड में वर्णित हैं।

हम कंपनी से स्वतंत्र (independent) हैं तथा *इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)* द्वारा जारी *आचार संहिता (Code of Ethics)* एवं अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं, और हमने उन सभी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य (audit evidence) हमारे मत का आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। *अन्य जानकारी* में निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी आती है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

हमारा मत केवल वित्तीय विवरणों तक सीमित है; यह अन्य जानकारी को आच्छादित नहीं करता और न ही हम इस पर किसी प्रकार का आश्वासन (assurance) व्यक्त करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने और यह विचार करने की है कि क्या यह जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारे लेखा-परीक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है अथवा इसमें कोई भौतिक त्रुटि प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उक्त अन्य जानकारी में कोई भौतिक त्रुटि है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं शासन की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) के तहत उल्लिखित उन मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित हैं ताकि वे कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का *सही एवं निष्पक्ष चित्रण (true and fair view)* प्रस्तुत कर सकें। यह उत्तरदायित्व भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों (Accounting Standards) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने का है।

इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित हैं—

- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रख-रखाव करना ताकि कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा हो सके और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम व पहचान की जा सके।
- उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं उनका सतत प्रयोग करना।
- यथोचित एवं सावधानीपूर्ण निर्णय और अनुमान करना।
- पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (internal financial controls) की रूपरेखा तैयार करना, उसे लागू करना और उसका रख-रखाव करना ताकि लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित हो सके और वित्तीय विवरणों में कोई भौतिक त्रुटि (चाहे धोखाधड़ी से हो या भूलवश) न रहे।

वित्तीय विवरणों की तैयारी के दौरान, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की *going concern* स्थिति का आकलन करने, उससे संबंधित मामलों का आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण करने तथा *going concern* आधार पर लेखांकन करने के लिए भी उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा कंपनी का परिसमापन (liquidate) करने या परिचालन बंद करने का न हो, अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थपरक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख (oversight) के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण हेतु लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से मुक्त हैं या नहीं (चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हों अथवा भूलवश), इस पर *उचित आश्वासन (reasonable assurance)* प्राप्त करना और हमारे मत (opinion) सहित लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह कोई गारंटी नहीं है कि SAs (Standards on Auditing) के अनुरूप किया गया प्रत्येक लेखा-परीक्षण हमेशा ही सभी भौतिक त्रुटियों का पता लगा लेगा। भौतिक त्रुटियाँ धोखाधड़ी या भूलवश उत्पन्न हो सकती हैं और यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उपयोगकर्ताओं द्वारा वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं, तो उन्हें भौतिक (material) माना जाता है।

SAs के अनुरूप लेखा-परीक्षण के एक भाग के रूप में, हम पूरे लेखा-परीक्षण के दौरान व्यावसायिक निर्णय (professional judgment) और व्यावसायिक संदेह (professional skepticism) बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक त्रुटि के जोखिमों (चाहे धोखाधड़ी से हों या भूलवश) की पहचान और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों का उत्तर देने के लिए लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं का डिजाइन एवं निष्पादन करना, तथा पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा-साक्ष्य प्राप्त करना ताकि हमारे मत का आधार बन सके। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक त्रुटि का पता न लगाने का जोखिम, भूलवश हुई त्रुटि से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में

मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर छूट, मिथ्याप्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का अतिक्रमण सम्मिलित हो सकता है।

- लेखा-परीक्षण के संबंध में प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम यह मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था उपलब्ध है और क्या वे प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमान एवं संबंधित प्रकटीकरणों की यथोचितता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा *going concern* आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा-साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो उन घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित हो, जो कंपनी की *going concern* के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकृष्ट करना होता है या, यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपने मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा-साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी को *going concern* के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी सम्मिलित हैं, और यह देखना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को सही और निष्पक्ष प्रस्तुति (*fair presentation*) के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं।

हम शासन की जिम्मेदारी संभालने वालों (*those charged with governance*) से, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखा-परीक्षण के नियोजित दायरे एवं समय और प्रमुख लेखा-परीक्षण निष्कर्षों के संबंध में संवाद करते हैं, जिनमें वे महत्वपूर्ण कमियाँ भी सम्मिलित हैं जिन्हें हम आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में पहचानते हैं।

हम शासन की जिम्मेदारी संभालने वालों को यह भी लिखित रूप से आश्वस्त करते हैं कि हमने स्वतंत्रता (*independence*) से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों की जानकारी साझा करते हैं जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, तथा जहाँ लागू हो, उनके लिए संबंधित सुरक्षा उपाय (*safeguards*) भी बताते हैं।

अन्य वैधानिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी *कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020* ("आदेश") के अनुसार, हम 'अनुलग्नक ए' में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट विषयों पर, जहाँ तक लागू है, विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, जहाँ तक लागू है, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

(क) हमने अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए जो हमारे लेखा-परीक्षण के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक विधिवत् लेखा-पुस्तकें रखी गई हैं, जहाँ तक कि हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, सिवाय उन मामलों के जो नीचे पैरा 2(इ)(vi) में कंपनी (लेखा-परीक्षक और लेखा-परीक्षण) नियम, 2014 के नियम 11(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग में उल्लिखित हैं।

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा विचाराधीन बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा-पुस्तकों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करते हैं।

(ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन और 31 मार्च 2025 को निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए जाने के आधार पर, कोई भी निदेशक 31 मार्च 2025 की स्थिति में अधिनियम की धारा 164(2) के अंतर्गत निदेशक नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

(च) खाते रखने और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित संशोधन पैरा 2(ख) में धारा 143(3)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग तथा पैरा 2(ङ)(vi) में नियम 11(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग में उल्लिखित हैं।

(छ) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी संचालनात्मक प्रभावशीलता के संबंध में, हमारे पृथक रिपोर्ट 'अनुलग्नक बी' में देखें।

(ज) अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 197, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित है, उस पर लागू नहीं होती।

(झ) कंपनी (लेखा-परीक्षक और लेखा-परीक्षण) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी के विरुद्ध ऐसी कोई लंबित वाद-विवाद नहीं हैं जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हों।

ii. कंपनी के पास ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध, जिनमें डेरिवेटिव अनुबंध भी सम्मिलित हों, नहीं हैं जिनसे कोई भौतिक पूर्वानुमान योग्य हानि होती हो।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित किए जाने योग्य कोई राशि शेष नहीं है।

iv.

(a) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि, उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था (विदेशी संस्थाओं सहित) को, चाहे उधार ली गई राशि, शेयर प्रीमियम या अन्य स्रोतों से, कोई धन अग्रिम, ऋण अथवा निवेश नहीं किया है इस समझ के साथ कि उक्त व्यक्ति/संस्था ("Intermediaries") प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अन्य व्यक्ति/संस्थाओं ("Ultimate Beneficiaries") में ऋण अथवा निवेश करेंगे अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान करेंगे।

(b) प्रबंधन ने यह भी प्रतिवेदन दिया है कि कंपनी को किसी भी व्यक्ति/संस्था (विदेशी संस्थाओं सहित) ("Funding Parties") से ऐसा कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है जिसके अंतर्गत कंपनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्ति/संस्थाओं ("Ultimate Beneficiaries") में ऋण अथवा निवेश करेगी अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान करेगी।

(c) उपरोक्त परिस्थितियों में किए गए लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों में कोई भौतिक मिथ्याप्रस्तुति है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश, जो पूर्ववर्ती वर्ष के लिए घोषित किया गया था, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है जहाँ तक लाभांश के भुगतान का संबंध है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों के *टिप्पणी 43* में उल्लिखित अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है जहाँ तक लाभांश की घोषणा का संबंध है।

vi. हमारी परीक्षा (जिसमें परीक्षण जाँच भी सम्मिलित है) के आधार पर, कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-पुस्तकें संधारित करने हेतु ऐसा लेखा-सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया है जिसमें *ऑडिट ट्रेल (edit log)* सुविधा उपलब्ध है और वह पूरे वर्ष सभी प्रासंगिक लेन-देन हेतु संचालित रहा, सिवाय निम्नलिखित के:

- (a) एक सॉफ्टवेयर जिसमें खरीद अभिलेख रखे जाते हैं, उसमें *ऑडिट ट्रेल (edit log)* सुविधा उपलब्ध नहीं है।
(b) 1 अप्रैल 2024 से 9 अगस्त 2024 तक डेटाबेस स्तर पर ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्रिय नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, हमारे लेखा-परीक्षण के दौरान, उपरोक्त को छोड़कर, हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला जहाँ ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ की गई हो। साथ ही, जहाँ तक ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्रिय थी, उसे कंपनी द्वारा विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप अभिलेख संरक्षण हेतु सुरक्षित रखा गया है।

3. अधिनियम की धारा 378ZG, भाग XXIA के अनुसार, हम 'अनुलग्नक सी' में उस धारा में निर्दिष्ट विषयों पर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

For S.N. Dhawan & CO LLP

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या: 000050N/N500045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701

UDIN: [24087701BKDARK2364](#)

स्थान:

दिनांक: 06.09.2025

गुरुग्राम

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ए

(दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए "बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड" के सदस्यों को दिए गए स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य वैधानिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के पैरा 1 में संदर्भित)

(i) कंपनी की स्थावर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में :

(a)

(A) कंपनी ने स्थावर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के पूर्ण विवरण सहित, मात्रात्मक विवरण तथा उनकी स्थिति दर्शाने वाले विधिवत अभिलेख (records) संधारित किए हैं।

(B) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले विधिवत अभिलेख संधारित किए हैं।

(b) स्थावर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान किया गया और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई। हमारे मतानुसार, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, स्थावर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के सत्यापन की आवृत्ति उचित है।

(c) हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा परीक्षण किए गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (उन संपत्तियों को छोड़कर जिनमें कंपनी पट्टाधारी (lessee) है और जिनके पट्टा समझौते विधिवत कंपनी के पक्ष में निष्पादित हैं)। तदनुसार, आदेश की धारा 3(i)(c) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी स्थावर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) कंपनी के विरुद्ध कोई भी ऐसी कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है और न ही लंबित है जो यह इंगित करती हो कि कंपनी के पास बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 45 का 1988) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई बेनामी संपत्ति है।

(ii)

(a) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर भंडार (इन्वेंट्री) का भौतिक सत्यापन किया है। हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारा मत है कि प्रबंधन द्वारा किए गए ऐसे सत्यापन का क्षेत्र तथा प्रक्रिया उपयुक्त है और भौतिक सत्यापन के दौरान प्रत्येक श्रेणी की इन्वेंट्री में पुस्तकीय अभिलेखों की तुलना में 10% या उससे अधिक की कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

(b) हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा (working capital limits) स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(ii)(b) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(iii)

हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता साझेदारी (LLPs) या अन्य किसी भी पक्ष को निवेश नहीं किया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है और न ही किसी प्रकार का

ऋण या ऋण के स्वरूप में अग्रिम (secured या unsecured) प्रदान किया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(iii)(a) से (f) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(iv)

कंपनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है, कोई निवेश नहीं किया है और न ही कोई गारंटी या सुरक्षा दी है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(iv) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(v)

कंपनी ने कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है और हमारे मतानुसार कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा शेष (amounts) नहीं था जिसे जमा माना जाए। इसके अतिरिक्त, वर्ष की शुरुआत में कंपनी के पास कोई अप्राप्त जमा (unclaimed deposits) नहीं था। तदनुसार, आदेश की धारा 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(vi)

कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के संबंध में केंद्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेख (cost records) के संधारण को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(vi) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(vii) वैधानिक देयों (Statutory Dues) के संबंध में :

(a) हमारे मतानुसार तथा हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर तथा अन्य लागू महत्वपूर्ण वैधानिक देयों का वर्ष के दौरान विधिक प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है। वर्षांत पर ऐसे कोई निर्विवादित देय शेष नहीं थे जो उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक समय तक बकाया हों।

हमें सूचित किया गया है कि कंपनी के परिचालन से वर्ष के दौरान सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर तथा बिक्री कर की कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई।

(b) हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, उपधारा (a) में वर्णित कोई भी वैधानिक देय विवाद के कारण लंबित नहीं है।

(viii)

हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (43 का 1961) के अंतर्गत कर निर्धारणों में वर्ष के दौरान पूर्व में अप्रतिलिखित आय से संबंधित कोई लेन-देन कंपनी द्वारा आत्मसमर्पित अथवा आय के रूप में प्रकटीकृत नहीं किया गया।

(ix)

(a) हमारे मतानुसार तथा हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋण अथवा अन्य उधारी अथवा उन पर देय ब्याज के भुगतान में किसी भी ऋणदाता के प्रति कोई चूक (default) नहीं की है।

(b) हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकार अथवा किसी शासकीय प्राधिकरण द्वारा *wilful defaulter* घोषित नहीं किया गया है।

(c) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई *term loan* नहीं लिया है, अतः आदेश की धारा 3(ix)(c) के प्रावधान वर्ष के दौरान लागू नहीं होते।

(d) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समय परीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए कोषों का, प्रथम दृष्टया, दीर्घकालिक प्रयोजनों में उपयोग नहीं किया गया है।

(e) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी अथवा संयुक्त उपक्रम (joint venture) नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(ix)(e) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(f) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी अथवा संयुक्त उपक्रम नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(ix)(f) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(x)

(a) कंपनी ने वर्ष के दौरान *initial public offer* अथवा *further public offer* (ऋण पत्रों सहित) के माध्यम से कोई कोष नहीं जुटाया है। अतः आदेश की धारा 3(x)(a) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(b) वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी प्रकार के वरीय आवंटन (preferential allotment) अथवा शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्णतः, आंशिक या वैकल्पिक) का निजी आवंटन नहीं किया है। अतः आदेश की धारा 3(x)(b) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xi)

(a) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी (fraud) नहीं की गई और न ही कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी पाई गई अथवा प्रतिवेदित हुई।

(b) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, अधिनियम की धारा 143(12) के अंतर्गत कोई भी प्रतिवेदन *Form ADT-4* में, कंपनियों (लेखा परीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार, केंद्रीय सरकार को वर्ष के दौरान अथवा इस प्रतिवेदन की तिथि तक दाखिल नहीं किया गया।

(c) प्रबंधन द्वारा हमें यह अभिव्यक्त किया गया है कि वर्ष के दौरान और इस प्रतिवेदन की तिथि तक कंपनी को कोई *whistle blower* शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii)

कंपनी एक *Nidhi Company* नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(xii)(a) से (c) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xiii)

हमारे मतानुसार तथा हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों (related parties) के साथ सभी लेन-देन, जहाँ लागू है, अधिनियम की धारा 188 के अनुरूप किए गए हैं और आवश्यक विवरण, लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रकटीकृत किए गए हैं। कंपनी एक निजी लिमिटेड कंपनी है, अतः अधिनियम की धारा 177 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xiv)

(a) हमारे मतानुसार तथा हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली (internal audit system) है।

(b) हमने लेखा परीक्षा की अवधि तक कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार किया है।

(xv)

हमारे मतानुसार तथा हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों अथवा

निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेन-देन (non-cash transactions) में प्रवेश नहीं किया है, अतः अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xvi)

(a) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(xvi)(a) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(b) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय अथवा आवास वित्त गतिविधियाँ नहीं की हैं।

(c) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (Core Investment Company - CIC) नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(xvi)(c) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(d) समूह (Group) के अंतर्गत कोई भी CIC सम्मिलित नहीं है।

(xvii)

कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष तथा तत्क्षण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि (cash losses) नहीं उठाई है।

(xviii)

वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों (statutory auditors) का कोई त्यागपत्र (resignation) नहीं हुआ है।

(xix)

हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण, तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की परिपक्वता एवं अपेक्षित वसूली तिथियों, वित्तीय दायित्वों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य जानकारी, निदेशक मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं के हमारे ज्ञान, तथा परिकल्पनाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की परीक्षा के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तिथि पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है कि कंपनी, बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान अपने दायित्वों का निपटान, बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि में, जब वे देय हों, करने में सक्षम नहीं होगी।

हम तथापि यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यावहारिकता (future viability) के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारा प्रतिवेदन केवल लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है तथा हम न तो यह गारंटी देते हैं और न ही यह आश्वासन कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी दायित्व कंपनी द्वारा समय पर चुकाए ही जाएंगे।

(xx)

अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः आदेश की धारा 3(xx)(a) एवं (b) के अंतर्गत प्रतिवेदन वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(xxi)

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी अथवा संयुक्त उपक्रम नहीं है तथा कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण (consolidated financial statements) तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(xxi) के प्रावधान लागू नहीं होते।

For S.N. Dhawan & CO LLP

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या: 000050N/N500045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701

UDIN: 24087701BKDARK2364

स्थान: गुरुग्राम

तिथि: 6.09.2025

परिशिष्ट- ब

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

बलीनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2025 के लिए

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की इसी तिथि की 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के पैरा 2(g) में संदर्भित)

हमने बलीनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षण किया है, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ संयोजन में किया गया।

प्रबंधन एवं शासन-प्रभारी व्यक्तियों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति ज़िम्मेदारियाँ:

कंपनी के निदेशक मंडल की यह ज़िम्मेदारी है कि वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण करें, जो वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के उन मानदंडों पर आधारित हों जिन्हें कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी *Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting* ("गाइडेंस नोट") में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया है।

इन ज़िम्मेदारियों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है, ताकि यह प्रभावी रूप से संचालित हों और कंपनी के व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित हो सके, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, तथा अधिनियम के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार होना शामिल है।

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी यह राय व्यक्त करना है कि कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप से स्थापित और अनुरक्षित हैं तथा क्या वे सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित हुए हैं। हमने अपना लेखा परीक्षण *गाइडेंस नोट* और अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया, जहाँ तक कि वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं।

इन मानकों और गाइडेंस नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है तथा लेखा परीक्षण की योजना और निष्पादन इस प्रकार करना होता है कि यह उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप से स्थापित और अनुरक्षित हैं और वे सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित हुए हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में उन प्रक्रियाओं का निष्पादन सम्मिलित है जिनके द्वारा हम वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त कर सकें। इसमें नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि कहीं कोई भौतिक कमजोरी तो नहीं है, तथा

आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित है।

हम यह मानते हैं कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं, ताकि हम कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी लेखा परीक्षा राय का आधार प्रदान कर सकें।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे इस उद्देश्य से डिज़ाइन किया जाता है कि वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके।

कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जो:

1. इस बात से संबंधित होती हैं कि अभिलेख ऐसे विवरण में अनुरक्षित हों जो लेन-देन और कंपनी की संपत्तियों के निस्तारण को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करें।
2. यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन आवश्यकतानुसार इस प्रकार दर्ज हों कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकें, और कंपनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों की अधिकृत स्वीकृति के अनुसार ही किए जा रहे हैं।
3. यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निस्तारण की रोकथाम या समय पर पहचान हो सके, जिससे वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ होती हैं, जिनमें मिलीभगत (collusion) या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित अतिक्रमण (management override) भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों में त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतियाँ हो सकती हैं और उनका पता नहीं चल पाता। इसी प्रकार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का भावी अवधियों तक प्रक्षेपण भी जोखिमग्रस्त होता है, क्योंकि बदलती परिस्थितियों के कारण ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियाँ या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर गिर सकता है।

अभिमत (Opinion)

हमारे मत में तथा हमें उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी भौतिक पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपलब्ध हैं तथा ये नियंत्रण 31 मार्च 2025 की स्थिति में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे। यह अभिमत कंपनी द्वारा निर्धारित उन मानदंडों पर आधारित है, जिन्हें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी *Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting* में वर्णित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है।

एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या: 000050N/N500045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701

यूडीआईएन: 24087701BKDARK2364

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 06.09.2025

परिशिष्ट 'ग' (Annexure C) - स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ

(स्वतंत्र लेखा परीक्षक की दिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अनुच्छेद 3 में संदर्भित, जो **बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड** के सदस्यों को कंपनी के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर दी गई है)

(i) वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री से प्राप्त देयों की राशि वित्तीय विवरणों के *नोट 15* में प्रकटीकृत है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी देय वसूल योग्य न होने (संदिग्ध) के रूप में नहीं माना गया है।

(ii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्षांत में कंपनी के पास कोई नगद शेष (cash on hand) नहीं है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियाँ (investment securities) भी नहीं हैं।

(iii) 31 मार्च 2025 को कंपनी की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का विवरण, उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

(iv) हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसी कोई भी लेन-देन नहीं की है, जो *कंपनी अधिनियम, 2013* के भाग XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत हो।

(v) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।

(vi) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी दान या सदस्यता (donations or subscriptions) नहीं दी है।

एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या: 000050N/N500045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701

यूडीआईएन: 24087701BKDARK2364

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 06.09.2025

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH, 2025

	Note No.	As at 31 March, 2025 Rs./lakh	As at 31 March, 2024 Rs./lakh
A. EQUITY AND LIABILITIES			
1 Shareholders' funds			
a. Equity share capital	3	1,271.87	988.61
b. Reserves and surplus	4	<u>2,621.79</u>	<u>2,065.75</u>
		<u>3,893.66</u>	<u>3,054.36</u>
2. Share application money pending allotment	39	33.32	53.34
3. Deferred grant	5	674.24	1,048.91
4. Non - current liabilities			
a. Long - term provisions	6	129.76	83.50
b. Other long-term liabilities	7	<u>335.21</u>	<u>247.16</u>
		<u>464.97</u>	<u>330.66</u>
5. Current liabilities			
a. Trade payables	8		
- Total outstanding dues of micro and small enterprises		346.30	86.83
- Total outstanding dues of other than micro and small enterprises		2,437.55	1,706.94
b. Other current liabilities	10	129.29	96.83
c. Short - term provisions	6	<u>3.39</u>	<u>2.23</u>
		<u>2,916.53</u>	<u>1,892.83</u>
Total		<u><u>7,982.72</u></u>	<u><u>6,380.10</u></u>
B. ASSETS			
1. Non - current assets			
a. Property, plant and equipment	11	852.25	1,041.27
b. Intangible assets	11A	6.63	2.38
c. Intangible assets under development	11B	-	6.08
d. Capital work in progress	11C	61.29	-
e. Deferred tax assets(net)	12	39.87	20.89
f. Long-term loans and advances	13	47.83	120.07
g. Other non-current assets	18	<u>669.21</u>	<u>169.16</u>
		<u>1,677.08</u>	<u>1,359.85</u>
2. Current assets			
a. Inventories	14	485.50	331.47
b. Trade receivables	15	1,557.57	1,012.22
c. Cash and cash equivalents	16	4,170.38	3,059.38
d. Short term loans and advances	17	28.22	13.44
e. Other current assets	18	<u>63.97</u>	<u>603.74</u>
		<u>6,305.64</u>	<u>5,020.25</u>
Total		<u><u>7,982.72</u></u>	<u><u>6,380.10</u></u>

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

For S. N. Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 000050N/N500045

For and on behalf of the Board of Directors
Balinee Milk Producer Company Limited

Sd/-
Arti Rajput
Chairman
DIN:08913495

Sd/-
Om Prakash Singh
Director & Chief Executive
DIN:08379571

Sd/-
Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701

Sd/-
Suneeta Dvi
Director
DIN:10302478

Sd/-
Komal Madhyani
Company Secretary
PAN: BWDPM4073P

Place: Gurugram
Date: 06 September 2025

Place: Jhansi
Date: 06 September 2025

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2025

	Note No.	Year ended 31 March, 2025 Rs./lakh	Year ended 31 March, 2024 Rs./lakh
1. Revenue from operations	19	57,115.83	51,725.83
2. Other income	20	315.42	239.56
3. Total revenue (1+2)		57,431.25	51,965.39
4. EXPENSES			
a. Cost of material consumed	21	274.31	176.22
b. Purchase of stock-in-trade	22	50,396.91	46,121.20
c. Procurement expenses	23	2,377.57	2,075.72
d. Changes in inventories of finished goods	24	(154.71)	(65.30)
e. Finance costs	25	1.63	0.29
f. Employee benefits expense	26	678.83	498.37
g. Depreciation and amortisation expenses	27	45.75	0.96
h. Other expenses	28	2,962.18	2,751.76
Total expenses		56,582.47	51,559.22
5. Profit before tax (3-4)		848.78	406.17
6. Tax expense:			
a. Current tax		232.81	116.17
b. Deferred tax credit	12	(18.98)	(9.53)
c. Tax related to earlier year		(0.18)	-
Net tax expense		213.65	106.64
7. Profit for the year(5-6)		635.13	299.53
8. Earnings per equity share:			
(Nominal value Rs. 100 per share)	35		
a. Basic		58.54	41.45
b. Diluted		56.80	38.60

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

For S. N. Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 000050N/N500045

For and on behalf of the Board of Directors
Balinee Milk Producer Company Limited

Sd/-
Arti Rajput
Chairman
DIN:08913495

Sd/-
Om Prakash Singh
Director & Chief Executive
DIN:08379571

Sd/-
Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701

Sd/-
Suneeta Dvi
Director
DIN:10302478

Sd/-
Komal Madhyani
Company Secretary
PAN: BWDPM4073P

Place: Gurugram
Date: 06 September 2025

Place: Jhansi
Date: 06 September 2025

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2025

	Year ended 31 March, 2025 Rs./lakh	Year ended 31 March, 2024 Rs./lakh
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
Profit before tax	848.78	406.17
Adjustments For :		
Interest Income	(263.86)	(177.89)
Finance cost	1.63	0.29
Depreciation	45.75	0.96
Operating profit before working capital changes	632.30	229.53
Adjustments for movement in working capital:		
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
Other long-term liabilities	88.05	9.41
Trade payables	990.08	23.66
Long-term provisions	46.26	39.67
Short term provisions	1.16	1.04
Other current liabilities	(15.93)	24.12
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Inventories	(154.03)	(64.61)
Trade receivables	(545.35)	440.92
Short-term loans and advances	(14.78)	(7.33)
Other current assets	(1.98)	3.31
Other non-current assets	(0.05)	(0.08)
Cash from operations	1,025.73	699.64
Income tax paid (net)	(156.39)	(219.96)
Net cash flow from operating activities (A)	869.34	479.68
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:		
Purchase of property, plant and equipment	(365.07)	(199.15)
Other bank balances not classified as cash and cash equivalent	(1,415.84)	(962.06)
Interest Income	230.37	159.88
Net cash flow used in investing activities (B)	(1,550.54)	(1,001.33)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Proceeds from issue of equity share capital	283.26	380.72
Share application money received (net)	(20.02)	21.11
Dividend paid	(79.00)	(48.56)
Grant received	699.21	338.26
Finance cost paid	-	(0.29)
Grant utilised for revenue expenditure	(15.00)	(15.42)
Net cash flow from financing activities (C)	868.45	675.82
Net increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	187.25	154.17
Cash and cash equivalents at beginning of the year	278.15	123.98
Cash and cash equivalents at the end of the year	465.40	278.15
Cash and cash equivalents comprises:		
Balances with banks:		
In current accounts	104.07	278.15
In fixed deposits account (original maturity of 3 months or less)	361.33	-
Cash and cash equivalents as per cash flow statement (see note 16)	465.40	278.15

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

For S. N. Dhawan & CO LLP

Chartered Accountants

Firm's Registration No. 000050N/N500045

Sd/-

Vinesh Jain

Partner

Membership No. 087701

Place: Gurugram

Date: 06 September 2025

For and on behalf of the Board of Directors

Balinee Milk Producer Company Limited

Sd/-

Arti Raibut

Chairman

DIN:08913495

Sd/-

Suneeta Dvi

Director

DIN:10302478

Place: Jhansi

Date: 06 September 2025

Sd/-

Om Prakash Singh

Director & Chief Executive

DIN:08379571

Sd/-

Komal Madhyani

Company Secretary

PAN: BWDPM4073P

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

1 Corporate Information

Balinee Milk Producer Company Limited ('the Company') was incorporated on 24th January, 2019, under Part IXA of the Companies Act, 1956 with the main object to carry on the business of pooling, purchasing, processing of milk and milk products primarily of the members, to provide technical and managerial services in the area of breeding, feed/fodder, veterinary services to increase milk production for the benefit of the members and to deal in activities that are part of or incidental to any activity related thereto.

The Company procures milk directly from milk producers through Milk Pooling Points (MPP) in villages of District Jhansi, Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Jalaun, Lalitpur & Mahoba and sells to dairies. The Company also trades in Cattle Feed.

2 Significant accounting policies

2.1 Basis of accounting

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the New Act").

The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention.

All the assets and liabilities have been classified as current or non current as per the company's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of services rendered by the Company and their realization in cash and cash equivalent, the Company has ascertained its operating cycle to be 12 month for the purpose of current- non current classification of assets and liabilities.

2.2 Use of estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialise.

2.3 Cash flow statement

Cash Flow Statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed in Accounting Standard (AS) 3 on 'Cash Flow Statement', whereby profit/(loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments.

The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of cash flow statement, cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short term balances (with an original maturity of three month or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

2.4 Revenue Recognition

Sales are recognized net of returns and trade discounts, on transfer of significant risk and rewards of ownership to the buyers, which generally coincides with the delivery of goods to customers.

2.5 Other Income

Interest income on deposits and admission fees from members are recognized on accrual basis.

2.6 Property, Plant and Equipment and Intangibles

Property, plant and equipment and intangible assets are carried at cost less accumulated depreciation/amortisation and impairment losses, if any. The cost of property, plant and equipment and intangible assets comprises their purchase price net of any trade discounts and rebates, other taxes (others than those subsequently recoverable from the tax authorities), any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying property, plant and equipment up to the date asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on property, plant and equipment after its purchase is capitalized only if such expenditure results in an increase in future benefits from such asset beyond its previous assessed standard of performance.

Capital work-in-progress:

Projects under which tangible fixed assets are not yet ready for their intended use are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable interest.

2.7 Depreciation and amortization

Depreciation on property, plant & equipment and intangible assets has been provided on straight line method as per the useful life of the assets, taking into account the nature of the asset, the estimated useful life of assets as estimated by the management, the operating condition of the asset, past history of replacements, anticipated technological changes, manufactured warranties and maintenance support etc. as under:

Description	Useful life
Plant and machinery	1 to 10 Years
Computer and data processing units	3 Years
Furniture and fixtures	1 & 10 Years
Office equipment's	1 & 5 Years
Softwares	3 Years
Trademark	4 Years
Leasehold improvements	Over the lease term

Note:

Based on technical evaluation, the management believes that the useful lives as given above best represent the period over which the Management expects to use these assets. Hence, the useful lives for these assets is different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013.

2.8 Inventories

Inventories comprises of trading good (milk). Inventories are valued at lower of cost and net realizable value after providing for obsolescence and other losses, wherever considered necessary. Cost is determined using First In First Out (FIFO) method. Cost includes all charges incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Small tools, chemicals, stores and spares and consumables are charged to consumption as and when purchased.

2.9 Grants

Grants and subsidies are recognized when there is reasonable assurance that the company will comply with the conditions attached to them and the grants/subsidies will be received. Grants related to depreciable Property, Plant & Equipment are treated as deferred grants which is recognised in the statement of profit and loss on a systematic and rational basis over the useful life of the asset i.e. depreciation charge on assets procured from such grants is appropriated from Deferred Grant and recognized in the statement of profit and loss by way of reduced depreciation charge.

Revenue government grants and subsidies are recognized as income over the periods necessary to match them with costs for which they are intended to compensate on a systematic basis.

2.10 Employee Benefits

Employee benefits includes Provident Fund, Gratuity and Leave Encashment.

i. Defined Contribution Plans :

The Company's contributions to provident fund is considered as defined contribution plan and are charged to the Statement of Profit and Loss based on the amount of contributions required to be made as and when services are rendered by the employees.

ii. Defined Benefit Plans :

The Company's gratuity and leave encashment are considered as defined benefit plan. The present value of the obligation under such defined benefit plan is determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method, which recognises each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation is measured at the present value of the estimated future cash flows. The discount rate used for determining the present value of the obligation under defined benefit plans, is based on the market yields on government securities as at the balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

iii. Short-term employee benefits :

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange of services rendered by employees is recognised during the year when the employees render the service. These benefits include salaries, wages, bonus and performance incentives which are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service.

The cost of short term compensated absences is accounted as under:

- a. in case of accumulated compensated absences, when employees render the services that increase their entitlement of future compensated absences; and
- b. in case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

iv. Long-term employee benefits :

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the Balance Sheet date less the fair value of the plan assets, if any out of which the obligations are expected to be settled.

2.11 Segment reporting

The Company identifies primary segments based on the dominant source, nature of risks and returns and the internal organisation and management structure. The operating segments are the segments for which separate financial information is available and for which operating profit / loss amounts are evaluated regularly by the executive Management in deciding how to allocate resources and in assessing performance.

2.12 Earning Per Share:

The Company reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard, AS - 20, Earnings Per Share. Basic earnings per equity share have been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year except where the result would be anti-dilutive.

2.13 Taxes on income

Income Tax expense comprises current tax and deferred tax. Current tax liability is the amount of tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the applicable tax rates and provisions of Income Tax Act, 1961 and other applicable tax laws.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is highly probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

Deferred tax is recognised on timing differences, being the differences between the taxable income and the accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax is measured using the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted as at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognised for all timing differences. Deferred tax assets are recognised for timing differences of items other than unabsorbed depreciation and carry forward losses only to the extent that reasonable certainty exists that sufficient future taxable income will be available against which these can be realised. However, if there are unabsorbed depreciation and carry forward of losses and items relating to capital losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that there will be sufficient future taxable income available to realise the assets. Deferred tax assets and liabilities are offset if such items relate to taxes on income levied by the same governing tax laws and the Company has a legally enforceable right for such set off. Deferred tax assets are reviewed at each balance sheet date for their realisability.

2.14 Impairment of Asset

The carrying values of assets / cash generating units at each balance sheet date are reviewed for impairment if any indication of impairment exists.

If the carrying amount of the assets exceeds the estimated recoverable amount, impairment is recognised for such excess amount. The impairment loss is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss, unless the asset is carried at revalued amount, in which case any impairment loss of the revalued asset is treated as a revaluation decrease to the extent a revaluation reserve is available for that asset.

The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

When there is indication that an impairment loss recognised for an asset (other than a revalued asset) in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss, to the extent the amount was previously charged to the Statement of Profit and Loss. In case of revalued assets such reversal is not recognised.

2.15 Provisions and Contingencies

A provision is recognised when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding retirement benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed in the Notes. Contingent assets are not recognised in the financial statements.

2.16 Leases

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognised in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

2.17 Operating cycle

Based on the nature of products/ activities of the company and the normal time between acquisition of assets and their realisation in cash or cash equivalents, the company has determined its operating cycle as 12 months for the purpose of classification of its assets and liabilities as current and non-current.

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

3 Equity share capital

	As at 31 March, 2025		As at 31 March, 2024	
	Number of shares	Amount Rs./lakh	Number of shares	Amount Rs./lakh
a. Authorised share capital				
Equity Shares of Rs. 100 each	18,00,000	1,800.00	12,00,000	1,200.00
b. Issued, subscribed and fully paid up share capital				
Equity Shares of Rs. 100 each	12,71,865	1,271.87	9,88,611	988.61

See notes (i) to (vii) below

Notes:

- i. The Company has only one class of shares referred to as Equity Shares having a par value of Rs.100/- per share. Every member shall have a single vote, provided that the member has poured milk for at least 200 days totalling to at least 500 liters in a year.
- ii. Members are entitled to limited returns (dividend) and bonus in accordance with Articles of Association of the Company.
- iii. Reconciliation of number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the year:

	Year ended 31 March, 2025		Year ended 31 March, 2024	
	Number of shares	Amount Rs./lakh	Number of shares	Amount Rs./lakh
Balance outstanding at the beginning of the year	9,88,611	988.61	6,07,888	607.89
Shares issued during the year	3,26,213	326.21	4,29,985	429.99
Less: Shares cancelled/surrendered during the year	42,959	42.96	49,262	49.26
Balance outstanding at the end of the year	12,71,865	1,271.87	9,88,611	988.61

- iv. The Company is registered under part XXIA of the Companies Act, 2013 as 'Producer Company' and none of the member holds 5% or more of the share capital of the Company.

v. Shares held by promoters*

Name of promoter	As at 31 March, 2025		As at 31 March, 2024		% Change
	No. of Shares held	% Holding	No. of Shares held	% Holding	
1 Anjani Devi	19	0.001%	13	0.001%	-13.60%
2 Rajkumari Lodhi	10	0.001%	10	0.001%	22.27%
3 Uma Kanti Pal	24	0.002%	24	0.002%	22.27%
4 Aradhana Devi	15	0.001%	14	0.001%	16.72%
5 Renu Singh	15	0.001%	14	0.001%	16.72%
6 Santoshi Devi	10	0.001%	10	0.001%	22.27%
7 Rajni	10	0.001%	10	0.001%	22.27%
8 Meena	10	0.001%	10	0.001%	22.27%
9 Sarita Devi	78	0.006%	78	0.008%	22.27%
10 Bisekha	10	0.001%	10	0.001%	22.27%
11 Sulekha Devi	10	0.001%	10	0.001%	22.27%

* Promoters here means as defined in Companies Act 2013

- vi. As per Articles of Association of the Company, if board is satisfied that any member has failed to retain the qualification as a member, the board shall direct the member to surrender their shares to the Company at par value or such other value as determined by the Board. Surrendered equity share shall be deemed to be the property of the Company and may be sold to members or otherwise cancelled as the Board thinks fit.
- vii. No share has been issued for a consideration other than cash/bank or bonus during the year or 5 years immediately preceeding the financial year.

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31 March, 2025 Rs./lakh	As at 31 March, 2024 Rs./lakh
4 Reserves and surplus		
a. General reserve		
Opening balance	1,766.22	1,124.76
Add: Transferred from surplus in Statement of Profit and Loss	220.44	641.46
Closing balance	<u>1,986.66</u>	<u>1,766.22</u>
b. Surplus in Statement of Profit and Loss		
Opening balance	299.53	690.09
Add: Profit for the year	635.13	299.53
Less:		
Final limited return (final dividend) to members for the year ended 31 March, 2024 Rs. 8/- per share (Previous year Rs. 8 per share)	79.09	48.63
Transferred to general reserve	220.44	641.46
Closing balance	<u>635.13</u>	<u>299.53</u>
	<u>2,621.79</u>	<u>2,065.75</u>
5 Deferred grant		
Balance at the beginning of the year	1,048.91	1,339.61
Capital grant utilised during the year (see note 9)	71.48	81.28
	<u>1,120.39</u>	<u>1,420.89</u>
Less: Depreciation pertaining to assets acquired from grant	446.15	371.98
	<u>674.24</u>	<u>1,048.91</u>
Note:		
i. The grant received has been recognised as liability till the utilisation of the grant.		
6 Provisions		
a. Long term provisions		
i. Provision for gratuity	56.09	35.00
ii. Provision for compensated absence	73.67	48.50
	<u>129.76</u>	<u>83.50</u>
b. Short term provisions		
i. Provision for gratuity	1.07	0.66
ii. Provision for compensated absence	2.32	1.57
	<u>3.39</u>	<u>2.23</u>
7 Other long-term liabilities		
a. Security/ trade deposits	335.21	247.16
	<u>335.21</u>	<u>247.16</u>

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

8 Trade payables	As at 31 March, 2025 Rs./lakh	As at 31 March, 2024 Rs./lakh
a. Total outstanding dues of micro and small enterprises (see note 'iii' below)	346.30	86.83
b. Total outstanding dues of other than micro and small enterprises	2,437.55	1,706.94
	2,783.85	1,793.77

Notes:

i) Trade payables ageing schedule

As at 31 March, 2025	Outstanding for following periods					Total
	Unbilled (Accrual)	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Total outstanding dues of micro and small enterprises	-	346.30	-	-	-	346.30
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	59.70	2,376.94	0.54	0.37	-	2,437.55
(iii) Disputed dues of micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues of creditors other than micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
	59.70	2,723.24	0.54	0.37	-	2,783.85

As at 31 March, 2024	Outstanding for following periods					Total
	Unbilled (Accrual)	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Total outstanding dues of micro and small enterprises	-	86.83	-	-	-	86.83
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	-	1,705.69	1.25	-	-	1,706.94
(iii) Disputed dues of micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues of creditors other than micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
	-	1,792.52	1.25	-	-	1,793.77

Note: Ageing of trade payables has been determined from the transaction date

	As at 31 March, 2025 Rs./lakh	As at 31 March, 2024 Rs./lakh
(ii) The above amount of trade payables also includes amount payable to its related parties (refer note 36)	0.52	0.30

iii) The disclosure of the amount outstanding to micro enterprises and small enterprises are as follows:

a. the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year		
- Principal*	358.04	89.46
- Interest	-	-
b. the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of MSMED Act, 2006 along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;	-	-
c. the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act, 2006;	-	-
d. The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of accounting year;	-	-
e. the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act, 2006;	-	-

This information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Company and has been relied by the Auditors.

* includes Payable for property plant and equipment to micro and small enterprises (refer note 10)

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31 March, 2025 Rs./lakh	As at 31 March, 2024 Rs./lakh
9 Unutilised grant		
a. Unutilised grant for operating/capital expenditure (see note 'I' below)	-	-
	-	-
i. Grant for operating/capital expenditure		
Opening balance		
-Unspent grant	-	-
-Grant recoverables	569.93	811.49
	569.93	811.49
Increase in grant liability / decrease in grant recoverable for		
Grant received during the year	699.21	338.26
Interest income on grant (see note 20)	-	-
	699.21	338.26
Utilisation of Grant		
Utilised for revenue expenditure (see note 20)	15.00	15.42
Utilised for capital expenditure (see note 5)	71.48	81.28
	86.48	96.70
Closing balance of unutilised grant	42.80	-
Closing balance of grant recoverable	-	569.93
Less: Amount recognised under other current assets (see note 18)	-	(569.93)
Less: Amount of grant refundable transferred to other current liabilities	(42.80)	-
	-	-

ii. Terms of grant:

- a. Total sanctioned amount of grant is Rs. 4,088.42 lakhs.
- b. Term of grant is initially for a period of three years, commencing from 1 March, 2019 to 28 February, 2022, which is extended upto 30 November 2024.

c. Purpose of the grant:

The grant is to be specifically used for the objectives set out below . The objective is to develop dairy value chain in districts of Bundelkhand region of Uttar Pradesh namely, Banda Chitrakoot, Hamirpur, Jalaun, Jhansi, Lalitpur and Mauranipur by organizing milk producer to form one member owned Milk producer company (MPC) which would ensure:

- Setting up a fair and transparent milk procurement systems and accurate and timely payment to the Milk producers directly in their saving bank account .
- Safeguarding the interest of dairy farmers by providing round the year access to organised market
- Strengthening the capacity of the proposed Milk producer company's stakeholders through education, training and other extension activities
- Arranging to provide technical input services in the areas of breeding nutrition care and management of mulch animals to increase milk productivity for the benefits of members.

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

d. Repayment of grant

Any funds lying unutilized including accrued, actual interest post expiry of the grant period shall be returned/ repaid to UP-SRLM within one month from the agreed date of closure by a prescribed mode notified at the time by officials of UP-SRLM.

iii. Grant utilisation

a. Grant for capital expenditure

The grant utilised for capital expenditure has been recorded as deferred grant (see note 5) which subsequently adjusted with the amortisation expenses of property plant and equipment acquired from the grant on systematic basis.

b. Grant for operating expenditure

The grant received for the specific expenditure has been recognised as liability till the utilisation of the grant, when the expenditure incurred the Company recognised corresponding income under 'Other income'.

iv. There are no unfulfilled conditions or contingencies attached to these grants which management expect not to fulfil.

v. The Details of grant received(net) till 31 March, 2025 are as follows:

Particulars	Amount Rs./lakh
Financial Year in which Grant is received:	
-2018-19	584.70
-2019-20	-
-2020-21	1,111.30
-2021-22	830.32
-2022-23	507.39
-2023-24	338.26
-2024-25	699.21
Total grant received till 31 March, 2025	4,071.18

10 Other current liabilities	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
a. Statutory dues (Contribution to Provident fund,withholding taxes etc.)	21.90	16.14
b. Payable for property plant and equipment*	11.99	6.49
c. Advances received from customers	26.03	53.80
d. Unpaid/unclaimed dividend	0.24	0.15
e. Grant refundable (see note 9)	42.80	-
f. Payable to employees	26.01	20.25
g. Interest payable on delayed payment to micro and small enterprises	0.32	-
	129.29	96.83

* Payable for property plant and equipment includes payable to micro and small enterprises for Rs. 11.74 lakhs (previous year Rs. 2.63 lakhs)

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

11 Property, plant and equipment

	Furniture and fixture	Plant and machinery	Computers and data processing units	Office equipment	Leasehold improvements	Total
	Rs./lakh	Rs./lakh	Rs./lakh	Rs./lakh	Rs./lakh	Rs./lakh
Gross cost						
Opening balance	69.33	1,744.24	72.53	42.87	36.82	1,965.79
Additions	1.90	63.96	1.50	7.84	-	75.20
Disposals	-	-	-	-	-	-
Balance as at 31 March, 2024	71.23	1,808.20	74.03	50.71	36.82	2,040.99
Additions	18.55	242.17	27.99	9.14	-	297.85
Disposals	-	-	-	-	-	-
Balance as at 31 March, 2025	89.78	2,050.37	102.02	59.85	36.82	2,338.84
Accumulated depreciation						
Opening balance	42.35	496.56	49.82	15.96	25.42	630.11
Additions	15.10	319.07	14.96	9.83	10.65	369.61
Disposals	-	-	-	-	-	-
Balance as at 31 March, 2024	57.45	815.63	64.78	25.79	36.07	999.72
Additions	16.02	447.90	11.13	11.07	0.75	486.87
Disposals	-	-	-	-	-	-
Balance as at 31 March, 2025	73.47	1,263.53	75.91	36.86	36.82	1,486.59
Net carrying amount						
Balance as at 31 March, 2024	13.78	992.57	9.25	24.92	0.75	1,041.27
Balance as at 31 March, 2025	16.31	786.84	26.11	22.99	-	852.25

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note: The details of assets purchased from capital grant are given below:

	Furniture and fixture	Plant and machinery	Computers and data processing units	Office equipment	Leasehold improvements	Total
	Rs./lakh	Rs./lakh	Rs./lakh	Rs./lakh	Rs./lakh	Rs./lakh
Gross cost						
Opening balance	69.33	1,744.24	72.53	42.87	36.82	1,965.79
Additions	1.90	63.96	1.50	7.84	-	75.20
Disposals	-	-	-	-	-	-
Balance as at 31 March, 2024	71.23	1,808.20	74.03	50.71	36.82	2,040.99
Additions	1.88	53.65	7.00	7.74	-	70.27
Disposals	-	-	-	-	-	-
Balance as at 31 March, 2025	73.11	1,861.85	81.03	58.45	36.82	2,111.26
Accumulated depreciation						
Opening balance	42.35	496.56	49.82	15.96	25.42	630.11
Additions	15.10	319.07	14.96	9.83	10.65	369.61
Disposals	-	-	-	-	-	-
Balance as at 31 March, 2024	57.45	815.63	64.78	25.79	36.07	999.72
Additions	5.59	415.40	9.73	10.96	0.75	442.43
Disposals	-	-	-	-	-	-
Balance as at 31 March, 2025	63.04	1,231.03	74.51	36.75	36.82	1,442.15
Net carrying amount						
Balance as at 31 March, 2024	13.78	992.57	9.25	24.92	0.75	1,041.27
Balance as at 31 March, 2025	10.07	630.82	6.52	21.70	-	669.11

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

11A Intangible assets

	Software Rs./lakh	Trademark Rs./lakh	Total Rs./lakh
Gross cost			
Opening balance	27.27	3.84	31.11
Additions	-	-	-
Disposals	-	-	-
Balance as at 31 March, 2024	27.27	3.84	31.11
Additions	9.28	-	9.28
Disposals	-	-	-
Balance as at 31 March, 2025	36.55	3.84	40.39
Accumulated amortisation			
Opening balance	23.34	2.06	25.40
Additions	2.37	0.96	3.33
Disposals	-	-	-
Balance as at 31 March, 2024	25.71	3.02	28.73
Additions	4.21	0.82	5.03
Disposals	-	-	-
Balance as at 31 March, 2025	29.92	3.84	33.76
Net carrying amount			
Balance as at 31 March, 2024	1.56	0.82	2.38
Balance as at 31 March, 2025	6.63	-	6.63

Note: The details of assets purchased from capital grant and included in the above schedule are given below:

	Software Rs./lakh	Total Rs./lakh
Gross cost		
Opening balance	27.27	27.27
Additions	-	-
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2024	27.27	27.27
Additions	7.29	7.29
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2025	34.56	34.56
Accumulated amortisation		
Opening balance	23.34	23.34
Additions	2.37	2.37
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2024	25.71	25.71
Additions	3.72	3.72
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2025	29.43	29.43
Net carrying amount		
Balance as at 31 March, 2024	1.56	1.56
Balance as at 31 March, 2025	5.13	5.13

11B Intangible assets under development

	As at 31 March, 2025 Rs./lakh	As at 31 March, 2024 Rs./lakh
a. Intangible assets under development	-	6.08
	-	6.08

Notes:

a. Intangible assets under development ageing schedule

As at 31 March 2025

	Amount in Intangible assets under development for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	-	-	-	-	-
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

As at 31 March 2024

	Amount in Intangible assets under development for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	6.08	-	-	-	6.08
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
	6.08	-	-	-	6.08

b. There are no projects in intangible assets under development, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan.

i. The details of assets purchased from capital grant and included in the above schedule are given below:

	As at 31 March, 2025 Rs./lakh	As at 31 March, 2024 Rs./lakh
a. Intangible assets under development	-	6.08
	-	6.08

11C Capital work in progress

	As at 31 March, 2025 Rs./lakh	As at 31 March, 2024 Rs./lakh
a. Capital work in progress	61.29	-
	61.29	-

Notes:

a. Capital work in progress

As at 31 March 2025

	Amount in Capital work in progress for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	61.29	-	-	-	61.29
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
	61.29	-	-	-	61.29

As at 31 March 2024

	Amount in Capital work in progress for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	-	-	-	-	-
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31 March, 2025 Rs./lakh	As at 31 March, 2024 Rs./lakh				
12 Deferred tax assets (net)						
(i) Tax effect of items constituting deferred tax assets:						
a. Provision for compensated absences and gratuity	33.51	20.75				
b. On difference between book balance and tax balance of fixed assets	6.36	0.14				
	<u>39.87</u>	<u>20.89</u>				
(ii) Tax effect of items constituting deferred tax liabilities:						
a. On difference between book balance and tax balance of fixed assets	-	-				
	<u>-</u>	<u>-</u>				
Net deferred tax asset	<u>39.87</u>	<u>20.89</u>				
Amount recognised in profit and loss	<u>18.98</u>	<u>9.53</u>				
13 Long term loans and advances						
Unsecured considered good (unless otherwise stated)						
a. Advance tax (net of provision)	47.83	120.07				
	<u>47.83</u>	<u>120.07</u>				
14 Inventories						
a. Raw material	0.52	1.20				
b. Finished goods - Ghee	169.32	88.94				
c. Stock in trade						
- Raw bulk milk	297.64	216.21				
- Cattle feed	18.02	25.12				
	<u>315.66</u>	<u>241.33</u>				
	<u>485.50</u>	<u>331.47</u>				
15 Trade receivables						
Billed						
a. Secured, considered good	-	-				
b. Unsecured considered good	1,557.57	1,012.22				
c. Doubtful	-	-				
	<u>1,557.57</u>	<u>1,012.22</u>				
Allowance for bad and doubtful debts						
a. Secured, considered good	-	-				
b. Unsecured considered good	-	-				
c. Doubtful	-	-				
	<u>-</u>	<u>-</u>				
Trade receivables ageing schedule						
As at 31 March 2025	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	1,557.49	0.05	0.03	-	-	1,557.57
(ii) Undisputed Trade receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade receivables considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	<u>1,557.49</u>	<u>0.05</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,557.57</u>
As at 31 March 2024	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	1,011.57	0.65	-	-	-	1,012.22
(ii) Undisputed Trade receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade receivables considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	<u>1,011.57</u>	<u>0.65</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,012.22</u>

Note: The above ageing is computed from the date of transaction.

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

16 Cash and bank balances	As at 31 March, 2025 Rs./lakh	As at 31 March, 2024 Rs./lakh
a. Balance with banks:		
i. In current accounts	104.07	278.15
ii. In fixed deposits account (original maturity of 3 months or less)	361.33	-
Cash and cash equivalents as per AS 3 - Cash (A)	<u>465.40</u>	<u>278.15</u>
b. Other bank balances		
i. In earmarked account		
-Unpaid dividend account	0.24	0.15
ii. In fixed deposits account (original maturity of more than 3 months)	3,704.74	2,781.08
Total - Other bank balances (B)	<u>3,704.98</u>	<u>2,781.23</u>
Total cash and bank balances (A+B)	<u>4,170.38</u>	<u>3,059.38</u>
17 Short term loans and advances (Unsecured, considered good)		
a. Prepaid expenses	<u>28.22</u>	<u>13.44</u>
	<u>28.22</u>	<u>13.44</u>
18 Other assets		
i. Non-current		
a. Security deposits	0.30	0.25
b. Fixed deposits with banks (maturity more than 12 months)	661.00	168.91
c. Capital advances	7.91	-
	<u>669.21</u>	<u>169.16</u>
ii. Current		
a. Grant recoverable (see note 9)	-	569.93
b. Interest accrued on fixed deposits	60.13	31.95
c. Other recoverables	0.44	0.33
d. Advances to vendors	3.40	1.53
	<u>63.97</u>	<u>603.74</u>

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	Year ended 31 March, 2025 Rs./lakh	Year ended 31 March, 2024 Rs./lakh
19 Revenue from operations		
(a) Sale of products (see note 'I' below)	57,115.83	51,725.83
	57,115.83	51,725.83
Note:		
Sale of products comprises:		
i. Manufactured/ (processed) goods		
a. Ghee	271.11	185.13
	271.11	185.13
ii. Traded goods		
a. Raw Milk	54,144.48	50,235.37
b. Cattle feed	2,700.24	1,305.33
	56,844.72	51,540.70
Total	57,115.83	51,725.83
20 Other income		
a. Revenue recognised from grant utilisation	15.00	15.42
b. Interest income		
- On fixed deposits (see Note 'I' below)	258.55	177.87
- On income tax refund	5.31	0.02
c. Admission fee from members	7.76	9.16
d. Miscellaneous income	28.80	37.09
	315.42	239.56
Note:		
i. Interest income		
Interest income on fixed deposits	258.55	177.87
Less: Amount transferred to un-utilized grant (see note 9)	-	-
Interest income recorded in other income	258.55	177.87
21 Cost of material consumed		
Raw material		
a. Opening stock	1.20	1.89
b. Add: Purchases	273.63	175.53
	274.83	177.42
c. Less: Closing stock	0.52	1.20
	274.31	176.22
22 Purchases of traded goods		
a. Purchases of raw bulk milk	47,913.53	44,937.33
b. Purchases of cattle feed	2,483.38	1,183.87
	50,396.91	46,121.20

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	Year ended 31 March, 2025 Rs./lakh	Year ended 31 March, 2024 Rs./lakh
23 Procurement expense		
a. Freight inward	884.97	799.56
b. Purer incentive	334.99	251.00
c. Sahayak incentive	1,069.71	948.93
d. Chemical and consumables	87.90	76.23
	<u>2,377.57</u>	<u>2,075.72</u>
24 Changes in inventories of finished goods and stock-in-trade		
a. Inventories at the beginning of the year		
Finished goods	88.94	47.58
Stock in trade	241.33	217.39
b. Inventories at the end of the year		
Finished goods	169.32	88.94
Stock in trade	315.66	241.33
Net decrease/ (increase) in inventories	<u>(154.71)</u>	<u>(65.30)</u>
25 Finance costs		
a. Interest on delay payment of income tax	1.31	0.29
b. Interest on delayed payment to micro and small enterprises	0.32	
	<u>1.63</u>	<u>0.29</u>
26 Employee benefits expense		
a. Salaries and wages	592.60	439.68
b. Contribution to provident fund	41.95	28.96
c. Gratuity expenses	23.88	18.12
d. Staff welfare expenses	20.40	11.61
	<u>678.83</u>	<u>498.37</u>
27 Depreciation and amortization expenses		
a. Depreciation on property, plant and equipment	486.87	369.61
b. Amortisation of intangible assets	5.03	3.33
	<u>491.90</u>	<u>372.94</u>
Less: Depreciation pertaining to assets acquired on grant (see note 5)	<u>(446.15)</u>	<u>(371.98)</u>
	<u>45.75</u>	<u>0.96</u>
28 Other expenses		
a. Distribution, freight and forwarding	1,587.04	1,608.53
b. Rent	55.87	43.99
c. Contractual manpower charges	256.28	301.81
d. Power and fuel expenses	113.30	186.24
e. Milk chilling expenses	416.27	233.42
f. Travelling and conveyance	123.51	98.23
g. Meeting and training expenses	31.88	26.73
h. Repair and maintenance - others	58.53	53.66
i. Legal and professional fees	19.26	11.78
j. Auditor's remuneration (refer note (i) below)	2.60	1.89
k. Printing and stationery	17.80	21.90
l. Corporate social responsibility (refer note 42)	-	13.98
m. Business promotion expenses	15.98	11.03
n. AI technician expenses	64.05	39.78
o. Insurance expense	92.78	18.33
p. Rate and taxes	9.01	6.79
q. Ghee processing charges	21.32	21.62
r. Communication expenses	45.31	37.82
s. Miscellaneous expenses	31.39	14.23
	<u>2,962.18</u>	<u>2,751.76</u>
Note:		
i. Auditors' remuneration comprises:		
a. Statutory audit fee	1.77	1.36
b. Certification fee	0.24	0.18
c. Tax audit fee	0.59	0.35
	<u>2.60</u>	<u>1.89</u>

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN :U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

- 29** The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position in its financial statements. Contingent liabilities Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
- 30** There were no amount which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- 31** The estimated amount of contracts remaining to be executed on capital amount and not provided for (net of advances) amount to Rs. 33.86 lakhs (previous year Rs. 26.74 lakhs)
- 32** The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

33 Employee benefit plans

Defined-contribution plans

The Company makes Provident Fund contributions which is defined contribution plan, for qualifying employees. Under the Schemes, the Company is required to contribute a specified percentage of the payroll costs to fund the benefits. The contributions payable to these plans by the Company are at rates specified in the rules of the schemes.

The Company's contributions towards provident fund is charged to the Statement of Profit and Loss comprises :

	Year ended 31 March, 2025	Year ended 31 March 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
Contribution towards provident fund and other funds	41.95	28.96

Defined-benefits plans

The Company offers its employees defined-benefit plan in the form of a gratuity scheme (a lump sum amount). Benefits under the defined benefit plan is based on years of service and the employee's compensation (immediately before separation). The gratuity scheme covers all regular employees. Actuarial valuation is done based on "Projected Unit Credit" method. Gains and losses of changed actuarial assumptions are charged to the Statement of Profit and Loss.

The following tables sets out the status of the defined benefit scheme in respect of Gratuity and amount recognised in the financial statements.

i. Changes in Present Value of Benefit Obligation

	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
Present Value of Benefit Obligation at beginning of the year	35.66	18.09
Current Service Cost	15.82	10.53
Interest Cost	2.40	1.28
Benefit Paid	(2.38)	(0.55)
Actuarial Losses/(Gains)	5.66	6.31
Present value of obligations at the end of the year	57.16	35.66

ii. Fair value of Plan Assets

	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
Fair value of plan assets at the end of the year	-	-
The scheme is unfunded, hence plan assets are Nil.	-	-

iii. Amount recognised in the Balance Sheet

	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
Present Value of Benefit Obligation at end of the year	57.16	35.66
Fair Value of Plan Assets at end of the year	-	-
Net Liability recognized in Balance Sheet	57.16	35.66

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN :U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

iv. Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss	For the year 31 March, 2025	For the year 31 March, 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
Current Service cost	15.82	10.53
Interest cost	2.40	1.28
Expected Return on Plan Assets	-	-
Net actuarial losses (gains) recognized in the year	5.66	6.31
Expenses recognized in Statement of Profit and Loss	<u>23.88</u>	<u>18.12</u>

v. Balance Sheet reconciliation	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
Net liability at the beginning of the year	35.66	18.09
Expenses as above	23.88	18.12
Payments	(2.38)	(0.55)
Net liability/(asset) at the end of the year	<u>57.16</u>	<u>35.66</u>

vi. Principal actuarial assumptions	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Discount rate	6.75%
Expected salary escalations	7.00%	7.00%
Attrition rate	5% to 1%	5% to 1%
Expected return on plan assets	N.A.	N.A.
Mortality table used	IALM 2012-14 Ultimate	IALM 2012-14 Ultimate

The discount rate is based on prevailing market yields of Government of India securities as at the balance sheet date for the estimated term of obligation.

The estimates of future salary increases considered, takes into account the inflation, seniority, promotions, increments and other relevant factors.

vii. Liabilities at year end

	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
Non current	56.09	35.00
Current	1.07	0.66
	<u>57.16</u>	<u>35.66</u>

vii. Experience adjustment

	Year ended 31 March 2025 Rs./ Lakhs	Year ended 31 March 2024 Rs./ Lakhs	Year ended 31 March 2023 Rs./ Lakhs	Year ended 31 March 2022 Rs./ Lakhs	Year ended 31 March 2021 Rs./ Lakhs
Present value of DBO	57.16	35.66	18.09	10.48	5.62
Fair value of plan assets					
Funded status	-	-	-	-	-
Gain/(loss) on obligations	(5.66)	6.31	(9.67)	1.17	(0.22)
Gain/(loss) on plan assets	-	-	-	-	-

Compensated absences

	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
Discount rate	6.75%	7.10%
Expected salary escalations	7.00%	7.00%
Expected return on plan assets	N.A	N.A
Remaining Working Life	22.08	22.58
Mortality table used	IALM 2012-14 Ultimate	IALM 2012-14 Ultimate

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

34 Lease commitments

Operating lease - As lessee

The lease rentals charged during the year for cancellable/non-cancellable leases relating to rent of building premises as per the agreements and maximum obligation on long-term non-cancellable operating leases are as follows:

	Year ended 31 March, 2025	Year ended 31 March, 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
Lease rentals	55.87	43.99
 Obligations on non-cancellable leases :-		
	As at 31 March, 2025	As at 31 March, 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
Payable not later than one year	15.35	7.58
Payable later than one year but not later than five years	34.10	-
Payable later than five years	-	-
	49.45	7.58

35 Earnings per equity share

	Unit	Year ended 31 March, 2025	Year ended 31 March, 2024
Net profit after tax	Rs./lakh	635.13	299.53
Weighted average number of equity shares outstanding during the period	Numbers	10,84,913	7,22,683
Nominal value per Equity Shares	Rupees	100	100
Basic earnings per share	Rupees	58.54	41.45
Weighted average number of equity shares outstanding	Numbers	10,84,913	7,22,683
Add: Effect of share application money	Numbers	33,316	53,340
Weighted average number of equity shares - for Diluted EPS	Numbers	11,18,229	7,76,023
Diluted earnings per share	Rupees	56.80	38.60

36 Disclosures as required by the Accounting Standard (AS) 18 – "Related Party Disclosures" are as below:

A. Name of the related parties and nature of relationship

Name of person	Nature of Relationship
Key Management Personnel:	
Om Prakash Singh	Chief Executive and Director
Narinder Singh Bahga	Expert Director (upto 31 August 2024)
Saugata Mitra	Expert Director
Veenu Sodhi	Expert Director (w.e.f 25 March, 2025)
Nirmala Devi	Director (w.e.f. 29 September, 2023)
Nisha	Director (w.e.f 20 September, 2024)
Rekha	Director (w.e.f 20 September, 2024)
Sita	Director (w.e.f 20 September, 2024)
Aarti Rajput	Director
Rachna	Director (upto 29 September, 2023)
Suneeta Devi	Director (w.e.f. 29 September, 2023)
Radha	Director (upto 21 August, 2023)
Rajkumari Lodhi	Director
Ram Devi	Director
Laxmi Devi	Director
Keerti	Director
Kanchan	Director

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

B. The nature and volume of transactions during the year with the above related parties are as follows:

Name of related party	Nature of transaction	For the year ended	For the year ended
		31 March, 2025	31 March, 2024
		Rs./lakh	Rs./lakh
Om Prakash Singh	Managerial remuneration	43.68	39.00
Nirmala Devi	Sitting Fees	0.47	0.09
Nisha	Sitting Fees	0.33	-
Rekha	Sitting Fees	0.33	-
Sita	Sitting Fees	0.33	-
Aarti Rajput	Sitting Fees	0.47	0.14
Rachna	Sitting Fees	-	0.04
Suneeta Devi	Sitting Fees	0.47	0.09
Radha	Sitting Fees	-	0.04
Rajkumari Lodhi	Sitting Fees	0.47	0.14
Ram Devi	Sitting Fees	0.47	0.14
Laxmi Devi	Sitting Fees	0.47	0.14
Keerti	Sitting Fees	0.47	0.14
Kanchan	Sitting Fees	0.47	0.14
		4.75	1.10
Nirmala Devi	Purchase of milk	2.13	1.26
Nisha	Purchase of milk	0.66	-
Rekha	Purchase of milk	0.94	-
Sita	Purchase of milk	0.48	-
Aarti Rajput	Purchase of milk	0.78	0.78
Rachna	Purchase of milk	-	0.59
Suneeta Devi	Purchase of milk	0.91	0.58
Radha	Purchase of milk	-	0.02
Rajkumari Lodhi	Purchase of milk	0.57	1.12
Ram Devi	Purchase of milk	2.81	2.44
Laxmi Devi	Purchase of milk	1.67	0.97
Keerti	Purchase of milk	1.44	0.94
Kanchan	Purchase of milk	0.57	0.84
		12.96	9.54
Om Prakash Singh	Reimbursement of expenses	7.96	5.02

C. Balance outstanding as at year end

	As at	As at
	March 31, 2025	March 31, 2024
	Rs./lakh	Rs./lakh
Trade payables		
Nirmala Devi	0.09	0.05
Nisha	0.04	-
Sita	0.03	-
Aarti Rajput	0.03	0.03
Rachna	-	0.04
Suneeta Devi	0.09	0.01
Rajkumari Lodhi	0.03	0.02
Ram Devi	0.06	0.06
Laxmi Devi	0.07	0.03
Keerti	0.05	0.05
Kanchan	0.03	0.01
	0.52	0.30

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

37 Disclosure of financial ratios

Particulars	Numerator	Denominator	As at	As at	Variance %	Reason for variance
			31 March 2025	31 March 2024		
a. Current ratio	Current assets	Current liability	2.16	2.65	-18%	
b. Debt equity ratio	Total debt	Equity shareholder's fund	NA	NA	-	
c. Debt service coverage ratio	Net operating Income	Total debt service	NA	NA	-	
i. Return on equity ratio	Net income	Equity shareholder's fund	16.31%	9.81%	66%	Note 1
d. Inventory turnover ratio	Cost of goods sold	Average inventory	123.67	154.54	-20%	
e. Trade receivables turnover ratio	Net sales	Average trade receivables	44.45	41.96	6%	
f. Trade payables turnover ratio	Net purchases	Average trade payables	22.14	25.69	-14%	
g. Net capital turnover ratio	Net sales	Working capital	16.85	16.54	2%	
h. Net profit ratio	Net profit	Net sales	1.11%	0.58%	92%	Note 1
j. Return on capital employed	Earning before interest and tax	Capital employed	16.79%	9.06%	85%	Note 1
k. Return on investment	Earning on investments	Average investments	NA	NA	-	

Working of the ratios

Basis of ratios	Year ended	Ratio	Year ended	Ratio
	31 March 2025		31 March 2024	
a. Current ratio				
Current assets	6,305.64	2.16	5,020.25	2.65
Current liability	2,916.53		1,892.83	
b. Debt Equity ratio				
Total debt (Long term debt+Short term debt+Capital lease obligation)	-	-	-	-
Equity shareholder's fund (Share capital+ Reserves and surplus)	3,893.66		3,054.36	
c. Debt service coverage ratio	NA		NA	
d. Return on equity ratio				
Profit after tax (PAT)	635.13	16.31%	299.53	9.81%
Equity shareholder's fund (Share capital+ Reserves and surplus)	3,893.66		3,054.36	
e. Inventory turnover ratio				
Cost of goods sold	50,516.51	123.67	46,232.12	154.54
Average inventory (opening inventory+closing inventory)/2	408.49		299.17	
f. Trade receivables turnover ratio				
Net sales (Total sales - Sales return)	57,115.83	44.45	51,725.83	41.96
Average trade receivables [(Opening debtors +Closing debtors) / 2]	1,284.90		1,232.68	
g. Trade payables turnover ratio				
Net Purchases (purchases - purchases returns)	50,670.54	22.14	46,296.73	25.69
Average trade payables [(opening trade payables+closing trade payables)/2]	2,288.81		1,802.19	
h. Net capital turnover ratio				
Net sales (Total sales - Sales return)	57,115.83	16.85	51,725.83	16.54
Working capital = Current assets - Current liabilities	3,389.11		3,127.42	
i. Net profit ratio				
Net profit	635.13	1.11%	299.53	0.58%
Net sales (Total sales - Sales return)	57,115.83		51,725.83	
j. Return on capital employed				
Earnings before interest and tax	850.41	16.79%	406.46	9.06%
Capital employed = Total assets - Current liabilities	5,066.19		4,487.27	
k. Return on investment	NA		NA	

Notes:

1 During the current year, there has been an increase in profitability resulting in a increase in the return on capital employed, net profit ratio, and return on equity ratio.

38 Other statutory information

- a. During the current financial year, company has not undertaken any transactions with the companies struck off under section 248 of Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.
 - b. No penalties were imposed by the regulator during the year during the financial year ended 31 March, 2025.
 - c. The Company does not have any transaction not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income-tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income-tax Act, 1961). Further, there was no previously unrecorded income and no additional assets were required to be recorded in the books of account during the year.
 - d. During the current year company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium) to any other person(s) or entities, including foreign entities (Intermediaries)
 - e. The Company has neither traded nor invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year ended March 31, 2025. Further, the Company has also not received any deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in Crypto Currency or Virtual Currency.
 - f. There are no proceedings that have been initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (as amended from time to time) (earlier Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988) and the rules made thereunder.
 - g. The Company have not received any fund from any person or entity, including foreign entity (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall:
 - (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries
 - h. The Company have not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall:
 - (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries
 - i. During the year, the Company does not have any working capital limit, hence not required to submit quarterly stock statement with the banks/financial institutions.
 - j. The Company has not made any further investments in any company, hence clause (87) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 is not applicable on the Company.
 - k. No charge or satisfaction of charge is pending for registration with Registrar of companies.
 - l. The Company has not declared as wilful defaulter by any banks, financial institution or any other lender.
- 39** As at 31 March 2025, the Company has received an amount of Rs. 33.32 lakhs towards share application money towards 33,316 equity share of the Company (As at 31 March, 2024 Rs 53.34 lakhs towards share application money towards 53,335) at a premium of Rs. Nil (As at 31 March, 2024 Rs. Nil). The Company has sufficient authorised capital to cover the allotment of these shares. .Subsequently, the Company has allotted the shares on 13 May 2025.
- 40** The disclosures as required under Accounting Standard AS-17 on Segment reporting are not required as the Company primarily deals in single business segment of trading of Milk and cattle feeds and operates in one geographical segment.
- 41** All assets and liabilities are presented as Current or Non-current as per criteria set out in Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of services rendered by the company, its operations and realization, the company has ascertained its operating cycle of less than 12 months. Accordingly 12 months period has been considered for the purpose of Current/ Non-current classification of assets and liabilities.

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

42 As per section 135 of the Companies Act,2013 a company meeting the applicability threshold need to spend at least 2 % of its average net profit for the immediately preceding three financial years on corporate social responsibilities (CSR) activities. The areas for CSR activities are eradicating hunger and malnutrition, promoting education, art and culture, healthcare, destitute care and rehabilitation, environment sustainability, disaster relief and rural development projects.

Further, during the current year, the company has not met the conditions of CSR Rules, net worth, turnover and net profit. Hence, the provisions of CSR are not applicable to the company for the year.

	Year ended 31 March, 2025	Year Ended 31 March, 2024
	Rs./ lakh	Rs./ lakh
A. Gross amount unspent for the last year	-	-
B. Gross amount required to be spent by the company during the year	-	13.98
C. Amount spent by the company during the year		
a. Yet to be paid in cash	-	-
b. Paid in cash		
i. Swachh Bharat Kosh	-	-
ii. Prime Minister's National Relief Fund	-	13.98
	-	13.98

Details of CSR expenditure under section 135(5) of the Act in respect of other than ongoing projects:

Balance as at the beginning of the year	-	-
Amount required to be spent during the period	-	13.98
Amount deposited in a specified fund of Schedule VII of the Act with in 6 months	-	-
Amount spent during the year	-	13.98
Balance as at the closing of the year	-	-

43 The Board of Directors has recommended a dividend of Rs. 8 (i.e., 8%) per equity share of Rs. 100 each for the financial year ended 31 March, 2025. The dividend payment is subject to approval of members at the ensuing Annual General Meeting.

44 In the opinion of the Board of Directors, the assets other than property, plant and equipment, intangible assets have a realisation value in the ordinary course of business at least equal to the amounts at which they are stated.

45 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

For **S. N. Dhawan & CO LLP**
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 000050N/N500045

Sd/-
Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701

Place: Gurugram
Date: 06 September 2025

For and on behalf of the Board of Directors
Balinee Milk Producer Company Limited

Sd/- Arti Rajput Chairman DIN:08913495	Sd/- Om Prakash Singh Director & Chief Executive DIN:08379571
--	---

Sd/- Suneeta Dvi Director DIN:10302478	Sd/- Komal Madhyani Company Secretary PAN: BWDPM4073P
--	---

Place: Jhansi
Date: 06 September 2025

बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01409UP2019PTC112780

पता: 1390, प्रथम तल, मौजा लहर गिर्द मोहल्ला बालाजीपुरम, नंदनपुरा, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत, 284003

ईमेल: info@balineemilk.com

मोबाइल नंबर: 9305805395

सूचित किया जाता है कि बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 8वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे होटल नटराज सरोवर पोर्टिको, स्टेशन रोड, सिविल लाइंस, झाँसी रेलवे स्टेशन, झाँसी, -284001 में निम्नलिखित कार्य हेतु आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना, साथ ही लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल की रिपोर्ट भी।

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उन्हें साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरणों के नोट्स और लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल की रिपोर्टें शामिल हैं, को एतद्वारा प्राप्त किया जाए, उन पर विचार किया जाए और उन्हें अपनाया जाए।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना ।

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उन्हें साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अर्जित लाभ में से 8 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) 100 रुपये प्रति के 12,71,865 इक्विटी शेयर पर पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 101.75 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है और पुष्टि की गई है और राशि उन सदस्यों को भुगतान की जाएगी जिनके नाम 31 मार्च, 2025 तक सदस्यों के रजिस्टर में उल्लिखित हैं।"

3. श्रेणी 'बी' के अंतर्गत वर्गीकृत श्रीमती कीर्ति (DIN: 09739299), जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, स्वयं को पुनः नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करती हैं ।

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उन्हें साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अध्याय XXIA की प्रावधानों के अनुसार, साथ ही धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई हों, श्रीमती कीर्ति (DIN 09739299), श्रेणी "B" के अंतर्गत

निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं; और नामांकन समिति तथा बोर्ड की सिफारिश के आधार पर, तथा कंपनी के उपविधि-पत्र के अनुच्छेद और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (साथ ही किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन जो वर्तमान में प्रभावी हो) के अनुसार, उन्हें निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी रहेगा।।"

4. श्रेणी "सी" के अंतर्गत वर्गीकृत श्रीमती कंचन (DIN: 09749897), जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, स्वयं को पुनः नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करती हैं ।

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उन्हें साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अध्याय XXIA की प्रावधानों के अनुसार, साथ ही धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई हों, **श्रीमती कंचन (DIN: 09749897)**, श्रेणी "C" के अंतर्गत निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं; और नामांकन समिति तथा बोर्ड की सिफारिश के आधार पर, तथा कंपनी के उपविधि-पत्र के अनुच्छेद और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (साथ ही किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन जो वर्तमान में प्रभावी हो) के अनुसार, उन्हें निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी रहेगा।।"

5. श्रीमती लक्ष्मी देवी (DIN: 09335491), जो वर्ग 'बी' के अंतर्गत वर्गीकृत निदेशक हैं, रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं। यद्यपि वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, उन्होंने स्वयं को पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उनके स्थान पर एक नए निदेशक की नियुक्ति पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उन्हें साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि श्रीमती लक्ष्मी देवी (DIN: 09335491), जो वर्ग 'बी' का प्रतिनिधित्व करती हैं, और जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हुए भी स्वयं को पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तुत नहीं करती हैं। अतः, अनुच्छेद 9.5 को अनुच्छेद 9.6 (i) के साथ पढ़ते हुए संरक्षकता मानदंड के आधार पर बोर्ड में वर्ग प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु, नामांकन समिति एवं बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर, उनके स्थान पर वर्ग 'बी' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती रीना देवी (DIN: 11279189) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, जिनका कार्यकाल रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।।"

6. श्रीमती सुनीता देवी (DIN: 11279190), जो "वर्ग-C" के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।

इस पर विचार किया जाए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित किया जाए:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378P तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों, कंपनी के उपविधि-पत्र, और संरक्षकता मानदंड के आधार पर बोर्ड में वर्ग प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु (अनुच्छेद 9.5 को अनुच्छेद 9.6 (i) के साथ पढ़ते हुए), नामांकन समिति एवं बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर, श्रीमती सुनीता देवी (DIN: 11279190), जो "वर्ग-C" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, जिनका कार्यकाल रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी रहेगा।"

7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के अंतरिम बजट पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।

इस पर विचार किया जाए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित किया जाए:

"यह प्रस्तावित है कि, कंपनी का बजट, जो अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया गया है, उसे अनुमोदित किया जाए।"

8. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार एवं अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378H और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी के अंतर्नियमों और संगम ज्ञापन के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 18,00,00,000/- (केवल अठारह करोड़ रुपये) रुपये से बढ़ाकर, 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 18,00,000 (अठारह लाख रुपये) इक्विटी शेयरों में विभाजित करके 22,00,00,000/- (बाईस करोड़ रुपये) रुपये कर दिया जाए, जो 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 22,00,000 (बाईस लाख रुपये) इक्विटी शेयरों में विभाजित हो। 4,00,000 (चार लाख) इक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹100 (एक सौ रुपये) मूल्य के अतिरिक्त इक्विटी शेयरों के सृजन द्वारा।

अतिरिक्त रूप से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के ज्ञापन का मौजूदा अनुच्छेद VI संशोधित किया जाए और उसे निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI से प्रतिस्थापित किया जाए,

"VI कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 22,00,00,000/- रुपये (बाईस करोड़ रुपये) हैं, जो 100/- रुपये (एक सौ रुपये) मूल्य के 22,00,000 (केवल बाईस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसे वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक या समीचीन समझे तथा किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

9. संरक्षकता के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के मानदंडों में संशोधन पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।

इस पर विचार किया जाए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित किया जाए:

"संकल्प लिया गया कि, व्यवसाय में सदस्यों की भागीदारी (अर्थात् संरक्षकता) के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने हेतु मानदंडों में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया जाए।"

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थानः झांसी

ओम प्रकाश सिंह

दिनांक: 11.09.2025

**मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN: 08379571**

नोटिस

1. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य हाथ उठाकर मतदान के साथ-साथ स्वयं के बजाय मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और एक प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले उपकरण को बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत पूरा करके, मुहर लगाकर और हस्ताक्षरित करके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। एक रिक्त प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ संलग्न है।
2. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए इसके साथ भेजी गई उपस्थिति पर्ची विधिवत भरकर लाएँ।
3. संलग्न नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच) के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
4. जिस सदस्य को कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न पूछना हो, उसे बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भेजने का अनुरोध किया जाता है।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने पता, फोलियो नंबर और सदस्य कोड उद्धृत करें।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक खाता और पिन कोड के साथ अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत कंपनी को सूचित करें।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए/ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार, घोषणा की तारीख से सात साल के भीतर संलग्न दावा नहीं किए गए लाभों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उक्त राशि को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के बाद, इस संबंध में आईईपीएफ या कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4) (सी) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(b) के अंतर्गत निदेशक पद हेतु प्रस्तावित उम्मीदवारों की योग्यता का विवरण:

विषय संख्या: 3, 4, 5 और 6

नाम	व्यवसाय	योग्यता
श्रीमती कीर्ति	पशुपालन	हाई स्कूल
श्रीमती कंचन	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती सुनीता देवी	पशुपालन	इंटरमीडिएट
श्रीमती रीना देवी	पशुपालन	इंटरमीडिएट

व्याख्यात्मक कथन

वस्तु संख्या - 5:

श्रीमती लक्ष्मी देवी (DIN 09335491), जो वर्ग-B का प्रतिनिधित्व करती हैं, घूर्णन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के बावजूद पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं। अतः, वर्ग प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु, संरक्षकता मानदंड (अनुच्छेद 9.5 के साथ 9.6(i) के अनुसार) तथा नामांकन समिति और निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, उनके स्थान पर श्रीमती रीना देवी (DIN: 11279189) का वर्ग-B सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए निदेशक पद हेतु निर्वाचन/नियुक्ति प्रस्तावित किया गया है। उनकी योग्यता का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(C) के अनुसार संलग्न सूचना में दिया गया है। वे पात्र हैं और निदेशक पद हेतु अपना प्रत्याशित्व प्रस्तुत करती हैं। यदि नियुक्त होती हैं, तो उनका कार्यकाल घूर्णन के अधीन रहेगा।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार का इस प्रस्ताव में कोई हित या संबंध नहीं है। निदेशक मंडल, नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, संलग्न सूचना की वस्तु संख्या 5 में उल्लिखित सामान्य प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

वस्तु संख्या - 6:

कंपनी के अनुच्छेद 9.5 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड में प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, यथासंभव, संबंधित वर्ग की संरक्षकता के आधार पर होना चाहिए। चूंकि वर्ग-C सदस्य के लिए बोर्ड में एक रिक्त स्थान है और कंपनी के बोर्ड में प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु, उक्त रिक्त स्थान को भरने का प्रस्ताव किया गया है।

श्रीमती सुनीता देवी (DIN: 11279190), जो वर्ग-C का प्रतिनिधित्व करती हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(C) के अनुसार उनकी योग्यता का विवरण संलग्न सूचना में दिया गया है। वे पात्र हैं और निदेशक पद हेतु अपना प्रत्याशित्व प्रस्तुत करती हैं। यदि नियुक्त होती हैं, तो उनका कार्यकाल घूर्णन के अधीन रहेगा।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार का इस प्रस्ताव में कोई हित या संबंध नहीं है। निदेशक मंडल, नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, संलग्न सूचना की वस्तु संख्या 6 में उल्लिखित सामान्य प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

वस्तु संख्या - 8:

वर्तमान में, कंपनी की अधिकृत पूंजी 18 करोड़ रुपये है और इसकी जारी, सदस्यता और भुगतान की गई शेयर पूंजी 13,06,73,800/- रुपये (तेरह करोड़ छह लाख तिहतर हजार आठ सौ) है। इसलिए, व्यवसाय के अपने सामान्य पाठ्यक्रम में अपने विकास और विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के साथ-साथ लक्ष्यों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए, कंपनी को अपनी भुगतान की गई शेयर पूंजी को 22 करोड़ रुपये तक विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 22 करोड़ रुपये तक बढ़ाना उचित समझा जाता है; और उस उद्देश्य के लिए, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को उपयुक्त रूप से बदलने का प्रस्ताव है जैसा कि संलग्न नोटिस के आइटम नंबर 8 के संकल्प में निर्धारित किया गया है।

लागू वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि संकल्प के निकाय में बताया गया है, कंपनी को अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पूंजी खंड में बदलाव के लिए सदस्यों की मंजूरी लेनी आवश्यक है।

प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन न के लेखों की एक प्रति कंपनी के पूंजीकृत कार्यालय में इसकी तारीख से बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदारों को उक्त समाधान में किसी भी तरह से संबन्धित रुचि नहीं है।

बोर्ड इस संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

वस्तु संख्या - 9:

दिनांक 20 सितम्बर 2024 को आयोजित सातवीं वार्षिक आम बैठक में, बोर्ड की सिफारिश पर, सदस्यों की व्यापार में भागीदारी (अर्थात् संरक्षण) के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अनुमोदित किया गया:

वर्गीकरण के मानदंड

क्रम संख्या	मापदंड	वर्ग - A	वर्ग - B	वर्ग - C
1	वर्ष में एमपीसी को दूध आपूर्ति के दिन	≥ 270 दिन	≥ 250 दिन	≥ 200 दिन
2	एमपीसी को वार्षिक दूध आपूर्ति (लीटर में)	≥ 3000 लीटर	≥ 1000 लीटर	≥ 500 लीटर
3	फ्लश महीनों (नवम्बर से फरवरी) में दूध आपूर्ति की मात्रा बनाम लीन महीनों (अप्रैल से जुलाई) की मात्रा	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं
4	एमपीसी के लिए न्यूनतम शेयर सदस्यता (अंश पूंजी का योगदान)	30 शेयर (₹3000/-)	10 शेयर (₹1000/-)	5 शेयर (₹500/-)

अनुच्छेद 9.4 के अनुसार:

"बोर्ड समय-समय पर शेयरधारकों की आम सभा की स्वीकृति से संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए मानदंड तय करेगा।"

बुंदेलखंड क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए:

बोर्ड ने सदस्यों की दूध आपूर्ति की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण के मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसे आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

संशोधित वर्गीकरण के मानदंड

क्रम संख्या	मापदंड	वर्ग - A	वर्ग - B	वर्ग - C
1	वर्ष में एमपीसी को दूध आपूर्ति के दिन	≥ 270 दिन	≥ 250 दिन	≥ 200 दिन
2	एमपीसी को वार्षिक दूध आपूर्ति (लीटर में)	≥ 3000 लीटर	≥ 1000 लीटर	≥ 500 लीटर
3	एमपीसी के लिए न्यूनतम शेयर सदस्यता (अंश पूंजी का योगदान)	30 शेयर (₹3000/-)	10 शेयर (₹1000/-)	5 शेयर (₹500/-)

नोट:

a) वर्ग निर्धारण के लिए वास्तविक शेयर योगदान या वास्तविक दूध आपूर्ति मात्रा में से जो कम होगा, वही मान्य होगा।

b) संरक्षण की गणना हेतु निम्नलिखित बिंदु मान्य होंगे:

- i. वे सदस्य जो पिछले वित्तीय वर्ष में शामिल हुए हैं और अभी 365 दिन पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने चुने गए वर्ग के लिए न्यूनतम आवश्यक अंश पूंजी का योगदान किया है, उन्हें उस वर्ग में माना जाएगा।
- ii. कोई भी सदस्य जो वर्ग A या B की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, उसे उस वर्ग में स्थानांतरित किया जा सकता है जिसकी आवश्यकताओं को वह पूरा करता है। हालांकि, ऐसे सदस्य उस वर्ष निदेशक मंडल के चुनाव में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
- iii. वे सदस्य जो 'वर्ग C' की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करते हैं, उन्हें सदस्यता समाप्ति हेतु अनुच्छेद 4.3 एवं अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस जारी किया जाएगा। यदि बोर्ड उन्हें सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है, तो ऐसे सदस्य को बिना वर्ग का सदस्य माना जाएगा।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार का इस प्रस्ताव में कोई हित या संबंध नहीं है। निदेशक मंडल संलग्न सूचना की वस्तु संख्या 8 में उल्लिखित सामान्य प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

बलीनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सातवीं वार्षिक आम बैठक (AGM) की कार्यवाही शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:00 बजे होटल नटराज सरोवर पोटिको, स्टेशन रोड, झॉसी-284001 (स्थगित आम सभा 01:30 बजे)

उपस्थिति:

1. श्रीमती आरती राजपूत	- निदेशक एवं शेयरधारक
2. श्रीमती सुनीता देवी	- निदेशक एवं शेयरधारक
3. श्रीमती कीर्ति	- निदेशक एवं शेयरधारक
4. श्रीमती निर्मला देवी	- निदेशक एवं शेयरधारक
5. श्रीमती कंचन	- निदेशक एवं शेयरधारक
6. श्रीमती राजकुमारी लोधी	- निदेशक एवं शेयरधारक
7. श्रीमती रामदेवी	- निदेशक एवं शेयरधारक
8. श्रीमती लक्ष्मी देवी	- निदेशक एवं शेयरधारक
9. श्री ओमप्रकाश सिंह	- मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
10. श्रीमती कोमल मध्यानी	- कंपनी सचिव

A. श्रीमती आरती राजपूत ने सभा अध्यक्ष का पद संभाला और कंपनी सचिव से बैठक प्रारंभ करने हेतु आवश्यक उपस्थिति एवं कोरम की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

B. कंपनी सचिव श्रीमती कोमल मध्यानी ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, 202 सदस्य, जिनके पास 7,583 इक्विटी शेयर हैं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे तथा 19,992 शेयरधारक, जिनके पास 3,73,495 इक्विटी शेयर हैं, अपने प्रॉक्सी के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने आगे पुष्टि की कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (9) तथा कंपनी के एसोसिएशन अनुच्छेद 11.6 के अनुसार आवश्यक कोरम उपस्थित था।

C. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से पुष्टि प्राप्त कर घोषणा की कि कोरम पूरा है।

D. कंपनी सचिव ने सूचित किया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की शेयरहोल्डिंग का रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा अन्य वैधानिक रजिस्टर निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, अतः रिपोर्ट को पढ़ा हुआ माना गया।

E. अध्यक्ष ने सदस्यों और निदेशकों का सातवीं वार्षिक आम बैठक में स्वागत किया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की।

F. सर्वसम्मति से पहले से प्रसारित नोटिस को पढ़ा हुआ माना गया। तत्पश्चात अध्यक्ष के निर्देशानुसार, कंपनी सचिव श्रीमती कोमल मध्यानी ने एजेंडा के बिंदुओं को एक-एक करके प्रस्तुत किया।

बैठक में निम्नलिखित कार्य संपन्न किए गए:

1. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियाँ व टिप्पणियाँ तथा निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकृत करना। श्रीमती अर्चना (फ़ोलियो नं.: 0027701) ने निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या: 7th AGM: 20.09.2024:1/2024-25

" संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2024 को की ऑडिटेड बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोट्स के साथ उसका एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।"

श्रीमती शिल्पा (फोलियो नं. 44361) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया। मतदान पश्चात प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) की घोषणा।

श्रीमती रोशनी सिंह (फोलियो नं.: 0021452) ने निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या: 7th AGM: 20.09.2024:2/2024-25

" संकल्प लिया गया कि, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के मौजूदा मुनाफे में से 8 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश), वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूरी तरह से भुगतान किए गए 100 रुपये के 988611 इक्विटी शेयरों कुल ₹79,08,888/- पर एतद्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है, और इसका भुगतान उन इक्विटी शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई दिए थे।

श्रीमती सोनम (फोलियो नं.: 8400) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती रामदेवी (DIN: 09333070) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

श्रीमती रेखा सिंह (फोलियो नंबर: 0014792) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या: 7th AGM: 20.09.2024:3/2024-25

" संकल्प लिया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 एवं अध्याय XXIA के अनुसार श्रीमती रामदेवी (DIN: 09333070), निदेशक, निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, पात्र होने के कारण, खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करती हैं अतः उन्हें फिर से नियुक्त किया जाता है।"

श्रीमती सोनिका (फोलियो नं.: 19486) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती राजकुमारी लोधी (DIN: 09333069) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

श्रीमती सविता (फोलियो नंबर: 0017538) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या: 7th AGM: 20.09.2024:4 /2024-25

" संकल्प लिया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 एवं अध्याय XXIA के अनुसार श्रीमती राजकुमारी लोधी (DIN: 09333069), निदेशक, निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, पात्र होने के कारण, खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करती हैं अतः उन्हें फिर से नियुक्त किया जाता है।"

श्रीमती रेखा (फोलियो नं.: 22224) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्रीमती निशा को कंपनी की निदेशक नियुक्त करना।

श्रीमती मीरा देवी (फोलियो नंबर: 0005973) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या: 7^{वीं} AGM: 20.09.2024:5/2024-25

"संकल्प लिया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती निशा (डीआईएन: 10753483) को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती मंजू देवी (फोलियो नंबर:0056772.) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. श्रीमती रेखा को कंपनी की निदेशक नियुक्त करना।

श्रीमती राखी देवी (फोलियो नंबर: 0015444) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या: 7^{वीं} AGM: 20.09.2024:6/2024-25

"संकल्प लिया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती रेखा (डीआईएन: 10753482) को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती अंजली देवी (फोलियो नंबर: 43419) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. श्रीमती सीता को कंपनी की निदेशक नियुक्त करना।

श्रीमती प्रीति (फोलियो नंबर: 0047724) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या: 7वीं AGM: 20.09.2024:7/2024-25

“संकल्प लिया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती सीता (डीआईएन: 10753484) को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती रेनु (फोलियो नंबर: 35594) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. सदस्यों को संरक्षकता (Patronage) के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के मानदंडों की स्वीकृति।

श्रीमती शोभा देवी (फोलियो नंबर: 000038) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या: 7वीं AGM: 20.09.2024:8/2024-25

“संकल्प लिया गया कि, “यह संकल्प किया जाता है कि, सदस्यों को अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत करने हेतु मानदंड जो आधारित हैं सदस्यों की व्यवसाय में भागीदारी (अर्थात्, संरक्षकता) पर, जैसा कि वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया गया है, को और द्वारा यह स्वीकृत तथा अनुमोदित किया जाता है।”

Sl. No.	Parameter	Class - A	Class - B	Class - C
1	No. of days of milk supplied to the MPC in a year	>= 270 days	>= 250 days	>= 200 days
2	Annual Milk Quantity supplied to the MPC (in liters)	>= 3000	>= 1000	>= 500
3	Milk quantity supplied during Flush months (namely			

	November to February) to that of the milk quantity supplied during Lean months (namely April to July) during a financial year	Not more than 3	Not more than 3	Not more than 3
4	Minimum number of MPC shares subscribed (amount of share capital contributed)	30 shares (Rs 3000/-)	10 shares (Rs 1000/-)	5 shares (Rs 500/-)

टिप्पणी -

क) वास्तविक शेयर अंशदान अथवा वास्तविक दूध मात्रा आपूर्ति, जो भी कम होगी, उसे वर्ग की श्रेणी निर्धारण के उद्देश्य से माना जाएगा।

ख) संरक्षकता की गणना के उद्देश्य से, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

I. वे सदस्य जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रवेश दिया गया है और जिन्होंने अभी तक अपनी सदस्यता के 365 दिन पूरे नहीं किए हैं, परंतु उन्होंने अपने द्वारा चुनी गई श्रेणी के लिए न्यूनतम आवश्यक शेयर पूँजी की सदस्यता ली है, उन्हें उसी श्रेणी का माना जाएगा।

II. कोई भी सदस्य जो श्रेणी A या श्रेणी B के मानदंडों को पूरा नहीं करेगा, वह उपयुक्त निम्नतर श्रेणी में रखा जा सकता है जिसके लिए वह मानदंडों को पूरा करता हो।

III. वे सदस्य जो न्यूनतम 'श्रेणी C' बनाए रखने हेतु आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुच्छेद 4.3 (अनुच्छेद 8 के साथ पढ़े जाने योग्य) के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया जाएगा। तथापि, यदि निदेशक मंडल उन्हें सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है, तो ऐसे सदस्यों को बिना किसी श्रेणी के सदस्य माना जाएगा।

किंतु, वे उस वर्ष निदेशक मंडल की स्थिति हेतु चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।

श्रीमती रीना (फ़ोलियो नंबर: 42725) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कंपनी का अंतरिम बजट स्वीकृत करना।

श्रीमती रश्मि यादव (फोलियो नंबर: 0045492) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या: 7वीं AGM: 20.09.2024:9 /2024-25

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी का बजट अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, जैसा कि वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, को एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।"

श्रीमती रूबी लोधी (फोलियो नंबर: 59595) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।

श्रीमती पूनम यादव (फोलियो नंबर: 031820) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या: 7वीं AGM: 20.09.2024:10/2024-25

"यह संकल्प लिया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378H अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 12,00,00,000/- (केवल बारह करोड़ रुपये) 1200000 इक्विटी शेयरों में विभाजित 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक से 18,00,00,000 रुपये (अठारह करोड़ रुपये) 18,00,000 (अठारह लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 6,00,000 (छः लाख) इक्विटी शेयर 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है ।

आगे यह संकल्प लिया गया कि, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के मौजूदा क्लॉज VI को निम्नलिखित नए क्लॉज VI द्वारा प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"VI कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 18,00,00,000/- (अठारह करोड़ रुपये) प्रत्येक 100/- रुपये (एक सौ रुपये) के 18,00,000 (अठारह लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

आगे संकल्प लिया गया कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, मुख्य कार्यकारी को इस संबंध में सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है जो वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान कर सके।"

श्रीमती हेमवती (फोलियो नंबर: 20210) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

बैठक में लेन-देन के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

दिनांक: 10/10/2024

स्थान: झाँसी

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष)

Balinee Milk Producer Company Limited					
Revenue Budget					
S.No.	Particulars	UoM	Budget FY 2024-25	Actual FY 2024-25	Proposed Budget FY 25-26
(I)	Milk Procurement Qty	(KGPD)	2,97,295	2,63,146	3,20,683
(II)	Revenue from Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	59,261.33	53,897.20	65,075.52
(III)	Producer Price	(Rs. in Lakhs)	52,329.16	47,446.17	56,476.27
(IV)	Sahayak Margin	(Rs. in Lakhs)	1,409.12	1,072.41	1,502.64
(V)	Logistic Cost	(Rs. in Lakhs)	2,396.59	2,353.48	2,960.47
(VI)	Other Milk Procurement Cost	(Rs. in Lakhs)	1,781.60	1,575.22	2,395.49
(VII)	Fixed Cost	(Rs. in Lakhs)	829.69	656.07	1,070.41
(VIII)	Profit/(Loss) from Milk Operation befor Grant Support	(Rs. in Lakhs)	515.17	793.86	670.23
(IX)	Grant Support -Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
(X)	Profit/(Loss) from Milk Operation after Grant Support	(Rs. in Lakhs)	515.17	793.86	670.23
(XI)	Revenue Expenses for PES Activities	(Rs. in Lakhs)	193.62	140.48	261.03
(XII)	(Deficit) -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	(193.62)	(140.48)	(261.03)
(XIII)	Grant Support -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
(XIV)	Profit/(Loss) from PES Operations	(Rs. in Lakhs)	(193.62)	(140.48)	(261.03)
(XV)	Other Income	(Rs. in Lakhs)	206.61	371.61	273.07
(XVI)	Profit/(Loss) Befor Tax	(Rs. in Lakhs)	528.16	1,024.98	682.26
			-0.00	-0.00	0.00
Capex Budget					
S.No.	Particulars	UoM	Budget FY 2024-25	Actual FY 2024-25	Proposed Budget FY 25-26
A	Milk Operation				
(I)	MPP SET UP COST	(Rs. in Lakhs)	22.05	19.89	48.60
(II)	CANS	(Rs. in Lakhs)	85.00	65.97	32.00
(III)	BMC	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
(IV)	HO SET UP	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
(V)	ICT	(Rs. in Lakhs)	39.54	39.68	164.94
(VI)	DPMCU	(Rs. in Lakhs)	180.00	192.70	165.00
(VII)	BMC Accessories	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
(VIII)	AMCU	(Rs. in Lakhs)	-	-	2.50
(IX)	BMC set up cost	(Rs. in Lakhs)	45.70	23.68	64.91
(X)	Misc	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
(XI)	Cluster Officer Set up	(Rs. in Lakhs)	1.60	0.27	1.00
(XII)	Marketing	(Rs. in Lakhs)	65.00	14.08	-
	Capex -Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	438.89	356.26	478.95
(XII)	Capex Grant Support -Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	65.00	-	-
	Capex from own Funds	(Rs. in Lakhs)	373.89	356.26	478.95
B	PES Operation				
(I)	Containers	(Rs. in Lakhs)	6.56	6.08	-
(II)	LN Silo	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
(III)	Handheld Device/Tablet	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
(IV)	Laptop	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
(V)	PES Centre set up	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
	Capex -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	6.56	6.08	-
(VI)	Capex Grant Support -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	6.56	6.08	-
	Capex from own Funds	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
I	Total Capex	(Rs. in Lakhs)	445.45	362.34	478.95
II	Total Capex grant	(Rs. in Lakhs)	65.00	-	-
III	Capex from own Funds	(Rs. in Lakhs)	380.45	362.34	478.95

बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01409UP2019PTC112780

कार्यालय: 1390, पहली मंजिल, मौजा लहर गिर्द मोहल्ला बालाजीपुरम, नंदनपुरा, झांसी यूपी 284003

ईमेल: info@balineemilk.com

फार्म सं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी फार्म

सदस्य का नाम:	ई-मेल:
पंजीकृत पता:	धारित शेयरों की संख्या:
	फोलियो नं

मैं.....बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्य होने के नाते एतद्वारा नियुक्त करती हूँ:

क्र. स.	नाम	पता	फोलियो स.	हस्ताक्षर

कंपनी की शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को दोपहर 12.00 बजे नटराज सरोवर पोर्टिको, स्टेशन रोड, सिविल लाइन्स, झांसी, झांसी रेलवे कॉलोनी, उत्तर प्रदेश 284001 अथवा किसी भी अन्य स्थान / समय पर होने वाली 8वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और आगे वर्णित प्रस्तावों के सम्बन्ध में वोट डालने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ।

मैं चाहती हूँ कि मेरी उपरोक्त प्रॉक्सी नीचे दिए गए बॉक्स में बताए गए तरीके से मतदान करे:

क्र.सं.	प्रस्ताव	मतदान	
		पक्ष में विपक्ष में	पक्ष में विपक्ष में
1.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना, साथ ही लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल की रिपोर्ट भी।		
2.	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना।		
3.	श्रेणी 'बी' के अंतर्गत वर्गीकृत श्रीमती कीर्ति (DIN: 09739299), जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, स्वयं को पुनः नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करती हैं।		

4.	श्रेणी "सी" के अंतर्गत वर्गीकृत श्रीमती कंचन (DIN: 09749897), जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, स्वयं को पुनः नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करती हैं ।		
5.	श्रीमती लक्ष्मी देवी (DIN: 09335491), जो वर्ग 'बी' के अंतर्गत वर्गीकृत निदेशक हैं, रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं। यद्यपि वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, उन्होंने स्वयं को पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उनके स्थान पर एक नए निदेशक की नियुक्ति पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।		
6.	श्रीमती सुनीता देवी (DIN: 11279190), जो "वर्ग-C" के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।		
7.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के अंतरिम बजट पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।		
8.	कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार एवं अनुमोदन करना।		
9.	संरक्षकता के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के मानदंडों में संशोधन पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।		

**बॉक्स में दर्शाए गए प्रस्तावों के सामने उपयुक्त कॉलम में 'X' लगाना वैकल्पिक है। यदि आप किसी या सभी प्रस्तावों के सामने 'पक्ष में' या 'विपक्ष में' कॉलम को खाली छोड़ देते हैं, तो आपका प्रॉक्सी उस तरीके वोट करने का हकदार होगा जैसा वह उचित समझे ।

दिनांकसितंबर, 2025 किए गए।

अंशधारक के हस्ताक्षर.....

एक रुपये का

प्रॉक्सी धारक (प्रतिनिधि) के हस्ताक्षर.....

रेविन्यू टिकिट लगाए।

नोट: ध्यान रहे कि प्रॉक्सि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रॉक्सि धारक (प्रतिनिधि) को कंपनी की सदस्य होना अनिवार्य है।

बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01409UP2019PTC112780

कार्यालय: 1390, पहली मंजिल, मौजा लहर गिर्द मोहल्ला बालाजीपुरम, नंदनपुरा, झांसी यूपी 284003

ईमेल: info@balineemilk.com

उपस्थिति पर्ची

फोलियो संख्या :

सदस्य कोड:

में शनिवार 27, सितंबर, 2025 को बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 8वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूं।

अंशधारक का नाम	
प्रतिनिधि का नाम (अगर प्रतिनिधि सभा में भाग ले रही हो तो)	

(ए) भाग लेने के लिए: _____

(बी) उपस्थित होने और मतदान करने के लिए: _____

अंशधारक /प्रतिनिधि के हस्ताक्षर*

*जो लागू न हो उसे काट दें।